

# शालेय शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली

## District Information System for Education (DISE)



सत्र 2010-11

### स्कूल डाटाबेस प्रपत्र

निम्न जानकारी जन शिक्षक के द्वारा भरने के पश्चात् ही प्रपत्रों का वितरण किया जावे।

शैक्षणिक सत्र 2010-11

जिला कोड 23

स्कूल कोड

1. विद्यालय का नाम (School Name) \_\_\_\_\_
2. राजस्व गाँव (ग्रामीण क्षेत्र) का नाम / वार्ड नं.(शहरी क्षेत्र) \_\_\_\_\_
3. पिन कोड (PIN Code) \$
4. जन शिक्षा केन्द्र (JSK) का नाम \_\_\_\_\_
5. ग्राम पंचायत (केवल ग्रामीण क्षेत्रों हेतु) \_\_\_\_\_
6. विकासखण्ड का नाम (Name of Block) \_\_\_\_\_
7. बसाहट का नाम (केवल ग्रामीण क्षेत्र) / मोहल्ला (केवल शहरी क्षेत्र) \_\_\_\_\_
8. विधानसभा क्षेत्र का नाम \_\_\_\_\_
9. पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत (नगरीय निकाय) का नाम \_\_\_\_\_  
(केवल शहरी क्षेत्रों हेतु)
10. विद्यालय कहाँ स्थित हैं ग्रामीण (Rural) / शहरी (Urban) \$ (1 = ग्रामीण / 2 = शहरी)
11. विद्यालय का प्रकार (School Type) \$ (1 = बालक / 2 = कन्या / 3 = सह शिक्षा)
12. विद्यालय का स्तर (School Category) \$ - (1 = प्राथमिक / 2 = प्राथमिक संयुक्त माध्यमिक /  
3 = प्राथमिक संयुक्त हाई स्कूल/उ.मा.वि. / 4 = केवल माध्यमिक / 5 = माध्यमिक संयुक्त हाई स्कूल/उ.मा.वि. )
13. विद्यालय का प्रबंधन (School Management) \$ - (1 = शिक्षा विभाग / 2 = आ.जा. कल्याण विभाग /  
3 = स्थानीय निकाय / 4 = शासकीय अनुदान प्राप्त (एडेड) अशासकीय / 5 = गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय (प्राइवेट) /  
6 = अन्य / 7 = भारत शासन के अन्तर्गत संचालित विद्यालय जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक /  
97 = पंजीकृत (मान्यता प्राप्त) मदरसा / 98 = गैर पंजीकृत मदरसा)

राज्य शिक्षा केन्द्र - पुस्तक भवन बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011

फोन : 0755-2768397, 2768395 (Ext. 316, 321) फैक्स : 0755-2553097

E-mail: rskdisemp@gmail.com, rgpsm@sify.com

Web Site:

<http://www.dise.in//dise.html>

<http://ssa.mp.gov.in>

## परिचय

शालेय शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली DISE (District Information System for Education) का निर्माण **भारत सरकार** द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में संचालित प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक) की समस्त शालाओं की जानकारी **30 सितम्बर** की स्थिति में एकत्र की जाती है। यह जानकारी समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त निजी (शासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर शासकीय सहायता प्राप्त), **मदरसा, संस्कृत शाला, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय (KVS), ICSE और CBSE** के अन्तर्गत संचालित शालाओं से एकत्रित की जानी है। भरे हुये प्रपत्रों की एन्ट्री कंप्यूटर में DISE साफ्टवेयर के माध्यम से करने के पश्चात डाटा भारत शासन को भेजा जाता है।

## उद्देश्य

प्रदेश में जिले-वार शिक्षा सुविधा की उपलब्धता, छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, शाला भवन, शिक्षण कक्ष, शिक्षकों का विस्तृत विवरण, वित्तीय जानकारी, शाला में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं (जैसे श्यामपट, पेयजल, खेल मैदान, शौचालय, रेम्प आदि) की जानकारी जो कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोक-व्यापीकरण के लिये अत्यंत आवश्यक है।

DISE से उपलब्ध जानकारी का उपयोग भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा हेतु किया जाता है। समस्त जानकारी निर्णय लेने में सहायक प्रणाली (Decision Support System) के लिये आवश्यक होती है तथा जिले की वार्षिक कार्ययोजना बनाने में DISE का डाटा महत्वपूर्ण होता है।

## रणनीति

किसी भी डाटा की गुणवत्ता के लिए यह आवश्यक है कि समस्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य हो। समय सीमा में संकलित जानकारी अमूल्य होती है, समय सीमा में यदि जानकारी संकलित न की जाये तो जानकारी महत्वहीन हो जाती है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जानकारी समय सीमा में ही प्राप्त हो। DISE की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है प्रपत्रों को भरने के पूर्व ठीक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए तथा Random आधार पर भरे हुये प्रपत्रों की जांच प्रत्येक स्तर पर की जावे तथा आवश्यक सुधार किये जावें। सत्र 2009-10 में DISE में दर्ज जानकारी इन्टरनेट पर ऑन लाइन उपलब्ध है, किसी भी विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड <http://schoolreportcards.in> पर देखा जा सकता है।

## अपील

जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों, जनशिक्षकों, विद्यालयों में पदस्थ प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों से अनुरोध है कि DISE क्रियान्वयन एक अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है, अतः उच्च प्राथमिकता के साथ यह कार्य सम्पन्न कर प्रारंभिक शिक्षा के लोक-व्यापीकरण में अपना सहयोग प्रदान करें।

## सामान्य निर्देश

इस प्रपत्र में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं का ही डाटा उपलब्ध कराया जाना है। हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं द्वारा उपयोग में आने वाले कक्षाओं, उपकरणों (सामग्री) और अन्य सुविधाओं की जानकारी को सम्मिलित न करें।

1. यह जानकारी जिले में संचालित माध्यमिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक) तक की समस्त विद्यालयों से संकलित की जानी है। **शासकीय, मान्यता प्राप्त निजी (शासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर शासकीय सहायता प्राप्त), पंजीकृत मदरसा, गैर पंजीकृत मदरसा, संस्कृत शाला, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय (KVS), ICSE और CBSE** के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों से एकत्रित की जानी है।
2. यदि कोई प्राथमिक/माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय किसी उच्च माध्यमिक/हायर सैकण्डरी विद्यालय से संबद्ध है तो उस विद्यालय से **कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 तक** की जानकारी संकलित की जावे।
3. विद्यालय में उपलब्ध रजिस्टर (जैसे सार रजिस्टर) तथा कार्यालय में उपलब्ध अन्य रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् पूर्ण एवं प्रमाणित जानकारी संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रपत्र में अंकित की जावे।
4. गत अकादमिक सत्र और वर्तमान अकादमिक सत्र 2010-11 के विशिष्ट रूप से उल्लेखित श्रेणी की स्थिति को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की **30 सितम्बर 2010** की स्थिति तक का डाटा उपलब्ध कराया जाए। वित्त संबंधी जानकारी में **पूर्ण वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल'09 से 31 मार्च'10)** संबंधित डाटा उपलब्ध करायें।
5. संख्यात्मक जानकारी केवल अंग्रेजी अंको में होनी चाहिए।
6. कृपया प्रपत्र में काँट-छाँट न करें। यदि जानकारी में संशोधन आवश्यक हो तो उस स्थान की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को निरस्त कर सामने/नीचे सही प्रविष्टि लिखें।
7. जहाँ आवश्यक हो या प्रपत्र में दिया गया हो उस स्थान पर केवल निर्धारित कोड का प्रयोग करें। कोड नम्बर की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें।
8. सभी प्रविष्टि पूर्ण करना आवश्यक है, कोई भी प्रविष्टि रिक्त न छोड़ें।
9. यदि किसी कारणवश दो विद्यालय एक ही भवन में संचालित हो तथा उनमें प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पृथक-पृथक हो तो उन्हें पृथक शाला माना जायेगा वहाँ **प्रत्येक शाला के लिये अलग-अलग प्रपत्र** भरवाया जायेगा।
10. शाला के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रपत्र में जानकारी भरने के पश्चात् इसे संकुल शैक्षिक समन्वयक (जन शिक्षक) को सौंपने से पूर्व प्रपत्र की सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लें तथा निर्धारित स्थान (प्रपत्र के अंतिम पृष्ठ) पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।
11. इसी प्रकार जनशिक्षक (Jan Shikshak) /विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) /विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRC) भरे हुए प्रपत्र के डाटा का परीक्षण कर लें और जिला कार्यालय के एम. आई. एस. कक्ष को हस्तांतरित करने के पूर्व जनशिक्षक / विकासखण्ड स्रोत समन्वयक / विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।
12. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक / विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरे हुए प्रपत्र में विद्यमान सामान्य त्रुटियों और रिक्त प्रविष्टियों का परीक्षण कर लें। कुल डाटा के **5 से 10 प्रतिशत की रैंडम आधार** पर परीक्षण विकासखण्ड स्रोत समन्वयक द्वारा किया जाना चाहिए, कृपया इस परीक्षण के परिणामों पर आधारित प्रतिवेदन जिला शिक्षा केन्द्र में अवश्य प्रस्तुत किया जावे।
13. **जिला कोड** : आपके जिले को चार अंकीय कोड आवंटित किया गया है। यह कोड NUEPA (National University of Educational Planning and Administration) New Delhi द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

District Code	District Name
2301	SHEOPUR
2302	MORENA
2303	BHIND
2304	GWALIOR
2305	DATIA
2306	SHIVPURI
2307	GUNA
2308	TIKAMGARH
2309	CHHATARPUR
2310	PANNA
2311	SAGAR
2312	DAMOH
2313	SATNA
2314	REWA
2315	UMARIA
2316	SHAHNOL
2317	SIDHI

District Code	District Name
2318	NEEMUCH
2319	MANDSAUR
2320	RATLAM
2321	UJJAIN
2322	SHAJAPUR
2323	DEWAS
2324	JHABUA
2325	DHAR
2326	INDORE
2327	KHARGONE
2328	BARWANI
2329	KHANDWA
2330	RAJGARH
2331	VIDISHA
2332	BHOPAL
2333	SEHORE
2334	RAISEN

District Code	District Name
2335	BETUL
2336	HARDA
2337	HOSHANGABAD
2338	KATNI
2339	JABALPUR
2340	NARSINGHPUR
2341	DINDORI
2342	MANDLA
2343	CHHINDWARA
2344	SEONI
2345	BALAGHAT
2346	ASHOKNAGAR
2347	ANUPPUR
2348	BURHANPUR
2349	ALIRAJPUR
2350	SINGRAULI

14. **शाला कोड** : जिले में विद्यमान प्रत्येक विद्यालय की अलग पहचान के लिये प्रत्येक विद्यालय को पृथक-पृथक सात अंकीय कोड आवंटित किये गया है। इसकी 7 अंकीय कोड की संरचना निम्नानुसार रहेगी :

विकासखण्ड की पहचान हेतु-2 अंक, ग्राम की पहचान हेतु-3 अंक, शाला की पहचान हेतु-2 अंक एक बार विकसित व आवंटित शाला कोड स्थायी एवं अपरिवर्तनीय हैं। इसका उपयोग भविष्य की समस्त आवश्यकताओं व कार्यों के लिये किया जायेगा। शाला कोड विकसित करने की प्रक्रिया पर और अधिक जानकारी के लिये कृपया DISE साफ्टवेयर में संलग्न निर्देशों की सहायता लें। शाला को आवंटित कोड शाला के सभी प्रमुख दस्तावेजों/रजिस्टर आदि के मुख्य पृष्ठ पर अंकित रहना चाहिए। शाला के नाम के साथ ही शाला को आवंटित डाईस कोड भी लिखा होना चाहिए।

### A. शाला का विवरण

- शाला का नाम (School Name)** : शासकीय अभिलेखों में दर्ज नाम के अनुरूप विद्यालय का पूरा नाम लिखें।
- ग्रामीण/शहरी (Rural/Urban)** : यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो अंक '1' अंकित करे अन्यथा '2' अंकित करें। इस कॉलम को नवीनतम जनगणना की जानकारी के आधार पर भरा जावे।
- बसाहट का नाम** (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) / मोहल्ले का नाम (शहरी क्षेत्र में वार्ड अन्तर्गत) अंकित करें।
- ग्राम का नाम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) /वार्ड क्रमांक का नाम (शहरी क्षेत्र में वार्ड अन्तर्गत)** : ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में राजस्व ग्राम का नाम लिखें। शहरी क्षेत्र के संदर्भ में वार्ड का क्रमांक लिखें।
- पिन कोड** : शाला जिस ग्राम/वार्ड में स्थित है वहाँ का पोस्टल इन्डेक्स नम्बर (पिन कोड) की प्रविष्टि करें।
- ग्राम पंचायत नाम** : ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में विद्यालय स्थित है उस ग्राम पंचायत के नाम का उल्लेख करें।
- जन शिक्षा केन्द्र का नाम (Jan Shiksha Kendra Name)** : विद्यालय जिस संकुल स्रोत केन्द्र/जन शिक्षा केन्द्र से संबद्ध है उसका नाम लिखें।
- विकासखण्ड (Block Name)** : ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में संबंधित विकासखण्ड के नाम का उल्लेख करें।
- ~~शैक्षिक विकासखण्ड का नाम~~ हमारे प्रदेश में कोई शैक्षिक विकासखण्ड नहीं है अतः इस प्रविष्टि को छोड़ दें।
- विधानसभा क्षेत्र** का नाम अंकित करें।
- शहरी क्षेत्र होने पर संबंधित नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत (यदि आवश्यक हो) अंकित करें।
- शहर (City)** का नाम अंकित करें।
- भौगोलिक स्थिति** के अन्तर्गत संबंधित शाला का अक्षांश एवं देशान्तर की सही सही जानकारी डिग्री, मिनिट एवं सेकेण्ड में दें।

14. **फोन नंबर / मोबाईल नंबर अंकित करें।**  
 i) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर (with STD Code)  
 ii) विद्यालय का प्रपत्र भरने वाले अध्यापक का दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर (with STD Code)
15. **दूरी किलो मीटर में :**  
 अ) **विकासखण्ड स्रोत केन्द्र मुख्यालय से दूरी :** विकासखण्ड स्रोत केन्द्र से विद्यालय की निकटतम दूरी का उल्लेख करें। यदि विद्यालय विकासखण्ड स्रोत केन्द्र पर स्थित हैं तो 0 की प्रविष्टि करें। दशमलव का उपयोग न करें। पूर्ण संख्या जैसे 10, 15, 20, 21,..... ही उल्लेख करें। अधिकतम 999 तक की संख्या का उल्लेख किया जा सकता है।  
 ब) **संकुल स्रोत केन्द्र/जन शिक्षा केन्द्र से दूरी :** केन्द्र से विद्यालय की निकटतम दूरी का उल्लेख करें/अधिकतम 999 तक की संख्या का उपयोग किया जा सकता है।
16. **'kkyk rd igpus ds fy, l Md :** यदि शाला तक प्रत्येक मौसम में बच्चों के लिए पहुंच मार्ग है तो 1 लिखें अन्यथा 2 लिखें।
17. **स्थापना वर्ष (Establishment Year) :** प्रथम बार विद्यालय आरम्भ/स्थापित होने वाले वर्ष का उल्लेख करें। कार्यालयीन अभिलेखों से वास्तविक स्थापना वर्ष की प्रमाणिकता का परीक्षण कर लें। जिस वर्ष में प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन की स्थिति में शाला प्रारंभ होने के वर्ष को लिखें।
18. **शाला को मान्यता मिलने का वर्ष :** शाला को जिस वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई थी उस वर्ष को लिखें। यदि मान्यता का नवीनीकरण हुआ हो तो नवीनतम नवीनीकरण का वर्ष लिखें।  
 18. अ) **प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन :** यह जानकारी केवल **शासकीय (Govt.)** माध्यमिक (मिडिल) शाला द्वारा ही भरी जानी है। प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्राप्ति का वर्ष का उल्लेख किया जावे।
19. **शाला का प्रकार (School Type) :** विद्यालय के प्रकार से तात्पर्य है कि इसमें केवल बालको को प्रवेश दिया जाता है अथवा बालिकाओं को अथवा दोनों को प्रवेश दिया जाता है।  
 1) **बालक (Boys) :** वे विद्यालय जो केवल बालकों को प्रवेश देती हैं। इन विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। विद्यालय का प्रकार का कोड '1' अंकित करें।  
 2) **कन्या (Girls) :** केवल बालिकाओं के लिये संचालित विद्यालय इनमें बालकों के प्रवेश की अनुमति नहीं। विद्यालय का प्रकार कोड '2' अंकित करें।  
 3) **सह शिक्षा (Co-Ed.) :** इन विद्यालयों में बालक-बालिका दोनों ही प्रवेश ले सकेंगी। विद्यालय का प्रकार कोड '3' अंकित करें।
20. **शाला का स्तर (School Category) :** विद्यालय के लिए उपयुक्त स्तर का चयन करें। विद्यालय के स्तर का निर्धारण विद्यालय में लगने वाली निम्नतम व उच्चतर कक्षा के आधार पर होगा। यदि कोई शासकीय विद्यालय कक्षा 1 से 8 हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी तक संचालित हैं दो संकलन प्रपत्र भरे जायेंगे। इनमें से एक प्राथमिक विद्यालय के लिए तथा दूसरा माध्यमिक विद्यालय के लिए।  
 1) **प्राथमिक शाला (Primary Only) :** ऐसी शाला जिसमें परिसर व प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक कक्षा 1 से 5 का संचालन होता हो। कोड '1' अंकित करें।  
 2) **प्राथमिक सह माध्यमिक (मिडिल) शाला :** ऐसी शाला जिसमें समान परिसर व प्रबंधन के अंतर्गत 1 से 8 तक कक्षाओं का संचालन होता हो। कोड '2' अंकित करें।  
 3) **प्राथमिक सह माध्यमिक (मिडिल) तथा हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला :** ऐसी शाला जहाँ कक्षा 1 से 10/12 तक में पठन पाठन का प्रावधान हो। कोड '3' अंकित करें।  
 4) **माध्यमिक (मिडिल) शाला (Middle Only) :** कक्षा 6 से आरम्भ तथा कक्षा 8 तक पठन पाठन संचालित करने वाली शालाओं। कोड '4' अंकित करें।  
 5) **माध्यमिक (मिडिल) शाला और हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला :** न्यूनतम कक्षा 6 और उच्चतम 10/12 तक कक्षाएं संचालित करने वाली शालाये। कोड '5' अंकित करें।
21. **शाला प्रबंधन (School Management) :** शाला प्रबंधन में उपयुक्त कोड की प्रविष्टि करें।  
 1) **शालेय शिक्षा विभाग (Education Deptt.) :** शालायें जिनका संपूर्ण वित्त पोषण व प्रबंधन राज्य शासन के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता हो शाला प्रबंधन कोड '1' अंकित करें।  
 2) **आदिम जाति/समाज कल्याण विभाग (TWD) :** आदिम जाति कल्याण विभाग या समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता हो शाला प्रबंधन कोड '2' अंकित करें।  
 3) **स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा संचालित शालाए (Local Body) :** इस श्रेणी में नगर पालिकाओं/निगमों द्वारा संचालित शालायें सम्मिलित होंगी। शाला प्रबंधन कोड '3' अंकित करें।

- 4) **शासकीय अनुदान प्राप्त (एडेड) अशासकीय (Aided)** : ऐसी मान्यता प्राप्त शाला जो कि स्थानीय निकाय इकाई या राज्य शासन /केन्द्र शासन से नियमित रूप से संधारण हेतु अनुदान प्राप्त होता हो। शाला प्रबंधन कोड '4' अंकित करें।
  - 5) **गैर अनुदान प्राप्त (प्राइवेट) अशासकीय (Unaided Private)** : किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त शाला जिन्हें स्थानीय शासन संस्था या शासन से संधारण हेतु नियमित अनुदान प्राप्त नहीं होता को गैर अनुदान प्राप्त शाला माना जायेगा। शाला प्रबंधन कोड '5' अंकित करें।
  - 6) **अन्य शालायें (Other)** : शासन के स्वायत्त शासी संगठनों द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित शालायें और अन्य मान्यता प्राप्त शालायें जो कि उपरोक्त बिंदुओं में सम्मिलित नहीं हुई हैं। शाला प्रबंधन कोड '6' अंकित करें।
  - 7) इस श्रेणी में **भारत शासन के अन्तर्गत संचालित विद्यालय जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय** आदि सम्मिलित होंगे। शाला प्रबंधन कोड '7' अंकित करें।
  - 8) इस श्रेणी में **पंजीकृत मदरसा** आदि सम्मिलित होंगे। शाला प्रबंधन कोड '97' अंकित करें।
  - 9) इस श्रेणी में **गैर पंजीकृत मदरसा** आदि सम्मिलित होंगे। शाला प्रबंधन कोड '98' अंकित करें।
22. **शाला की सबसे छोटी कक्षा : शाला की सबसे छोटी कक्षा जिसमें छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है का उल्लेख करें।** शाला की न्यूनतम कक्षा 1 और 6 हो सकती हैं। [ चार्ज शाला का स्तर (School Category) कुछ भी भरा हों ]
23. **शाला की उच्चतम कक्षा :** शाला में उच्चतम कक्षा जिनमें अध्यापन किया जाता है उस कक्षा का उल्लेख करें। उदाहरण के लिये किसी प्राथमिक शाला में कक्षा 1 व 2 संचालित है पर यह शाला आगे आने वाले वर्षों में कक्षा 3 व 4 के छात्र छात्राओं को भी प्रवेश देगी। इस स्थिति में कक्षा 2 को ही उच्चतम कक्षा माना जायेगा। [ चार्ज शाला का स्तर (School Category) कुछ भी भरा हों ]
24. **अनुदेशन का माध्यम (Medium of Instruction) :** राज्य के निर्देश के अनुसार अनुदेशों के माध्यम (दो अंकों में) को लिखें। यदि शाला में अनुदेशों का माध्यम एक से अधिक हो तो कृपया सभी को अ/ब विकल्पों में लिखें। उपयुक्त संख्या कोड भरें।

### A (i) शाला का विवरण

1. **पूर्व प्राथमिक शैक्षिक सुविधा (आंगनवाडी छोड़ कर) :** यदि विद्यालय परिसर के अंदर पूर्व प्राथमिक सुविधाएं विद्यमान हो तो '1' का उल्लेख करें (आंगनवाडी छोड़ कर)। यदि ये सुविधाएं विद्यालय परिसर सीमा में विद्यमान नहीं हो तो '2' अंकित करें। यदि विद्यालय परिसर के भीतर पूर्व सुविधाएं उपलब्ध हो तो पूर्व प्राथमिक खण्डों में दर्ज कुल छात्रों की संख्या और शिक्षिका/सहायिका/दीदी की संख्या को उपलब्ध करावें।
2. **शाला से संलग्न आंगनवाडी सुविधा :** यदि विद्यालय परिसर के अंदर आंगनवाडी की सुविधाएं विद्यमान हो तो '1' का उल्लेख करें। यदि ये सुविधाएं विद्यालय परिसर सीमा में विद्यमान नहीं हो तो '2' अंकित करें। यदि विद्यालय परिसर के भीतर पूर्व सुविधाएं उपलब्ध हो तो पूर्व प्राथमिक खण्डों में दर्ज कुल छात्रों की संख्या और शिक्षिका/सहायिका/दीदी की संख्या को उपलब्ध करावें।
3. **आवासीय शाला :** वे शालाएं जो छात्रावास के साथ संलग्न हो और जिनमें छात्रों के आवास एवं भोजन की सुविधाएं शाला द्वारा उपलब्ध करायी गई हो। हाँ के लिए '1', एवं नहीं के लिए '2' अंकित करें। आवासीय शाला होने की स्थिति में 3.अ खण्ड के लिए आवासीय शाला के प्रकार का उल्लेख करें। 1 =आश्रम शाला शासकीय / 2 =गैर आश्रम शाला शासकीय / 3 =निजी / 4 =अन्य / 5 =कोई नहीं / 6 =कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) अंकित करें अंकित करें।
4. यदि यह स्पेशल स्कूल विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चों के लिये हैं ? हाँ के लिए '1', एवं नहीं के लिए '2' अंकित करें।
5. **क्या शाला भवन का उपयोग पाली (shift) वाली शाला के रूप में किया जा रहा है :** यह डाटा पाली में लगने वाली शालाओं के लिए ही लागू किया जावें। जहां एक ही परिसर का, दो शालाओं के लिए उपयोग किया जा रहा हो। हाँ के लिए '1', एवं नहीं के लिए '2' अंकित करें।
6. **विगत अकादमिक वर्ष का विवरण (1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक) :**
  - अ) **अकादमिक अवलोकनों की संख्या :** इस हेतु गत अकादमिक सत्र में राज्य शासन द्वारा शालाओं के अनुवीक्षण के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा किये गए अवलोकनों जिसका विस्तृत लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध हो की गणना की जावें। अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले सामान्य भ्रमण जिसका कोई लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध न हो की गणना अवलोकन में सम्मिलित न करें। संख्या 0 से 12 तक।
  - ब) **संकुल स्रोत समन्वयक द्वारा किये गए भ्रमणों की संख्या :** गत अकादमिक सत्र में संकुल स्रोत समन्वयकों द्वारा अकादमिक सहायता तथा अन्य कार्यों के किये गए शैक्षिक भ्रमणों की संख्या का उल्लेख करें। संख्या 0 से 25 तक।

- स) विकासखण्ड स्त्रोत एवं शैक्षिक समन्वयकों द्वारा किये गये भ्रमणों की संख्या : गत अकादमिक सत्र में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों द्वारा अकादमिक सहायता तथा अन्य कार्यों से किये गए शैक्षिक भ्रमणों की संख्या का उल्लेख करें वैद्य संख्या 0 से 25 तक।
- द) विकासखण्ड के मोबाइल स्त्रोत सलाहकार द्वारा किये गये भ्रमणों की संख्या : गत अकादमिक सत्र में विकासखण्ड के मोबाइल स्त्रोत सलाहकार द्वारा किये गए शैक्षिक भ्रमणों की संख्या का उल्लेख करें वैद्य संख्या 0 से 25 तक।
7. शाला (गत वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 की स्थिति में) की वित्तीय जानकारी : प्रायवेट शालाओं हेतु अनिवार्य नहीं है।
- अ) शाला विकास अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत) : गत वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पालक शिक्षक संघ को प्राथमिक शाला में ₹ 5000/- तथा माध्यमिक शाला में ₹ 7000/- का अनुदान दिया गया था सम्मिलित हैं।
- ब) शाला मरम्मत अनुदान (School Maintenance Grant) : शाला भवन के रख रखाव के लिए शाला को प्रदान की जाती है। (3 कक्षा हेतु ₹ 5000/-, 3 से अधिक कम हेतु ₹ 10,000/-)
- स) शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत) : शाला के समस्त शिक्षकों के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान की कुल राशि का अंकित करें। (प्रति शिक्षक ₹ 500)
- द) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान : अन्य स्त्रोत निधि के अन्तर्गत सामान्यतः शासकीय अनुदान, दान, बंदोबस्त तथा सामुदायिक अंशदान आदि से प्राप्त कुल राशि का उल्लेख करें।
6. स्टॉफ समूह (केवल प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक) % प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक अमले की संख्या/नियुक्त/कार्यरत शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय अमले को निम्न वर्गीकरण के अनुसार उल्लेखित करें।
- अ) शैक्षणिक स्टाफ : इस श्रेणी के अन्तर्गत नियमित वेतनमान वाले शिक्षक या सहा. शिक्षक रखे जायेगें (अतिथि शिक्षक को छोड़कर)। शैक्षणिक अमले में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षक तथा मानदेय पर कार्यरत अथवा मानदेय रहित पूर्णकालिक श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। शारीरिक प्रशिक्षित, संगीत शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक आदि को भी शैक्षणिक अमले का भाग समझा जावे। अध्यापक/संविदा शिक्षक, गुरुजी और प्राथमिक और मिडिल कक्षाओं को नियमित रूप से अध्यापन वालों की गणना शिक्षकों के रूप में की जावे।
- ब) ~~पैय शिक्षक~~ : अन्य किसी योजना के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर शिक्षक ग्राम समुदाय के अंशदान के सहयोग से भुगतान पर कार्यरत हैं।
- स) अंशकालीन इन्टर (केवल माध्यमिक (मिडिल) स्तर के लिए) :
- द) गैर शिक्षकीय अमला : शैक्षणिक अमले के अतिरिक्त अन्य अमले को गैर शिक्षकीय अमला माना जावे तथा इसमें कार्यालयीन लिपिक, टंकण, लेखापाल, भृत्य, चौकीदार, जमादार आदि शामिल किये जावे।

### A (ii) विद्यालय का विवरण

इस खंड में मुख्यतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्रदान की जानी है।

1. विद्यालय के शिक्षण दिवस एवं समयावधि का विवरण :
- अ) गत अकादमिक सत्र में अकादमिक गतिविधियों के लिये शाला कितने दिन संचालित की गई अंकित करें। कार्यरत दिवस की गणना करते समय परीक्षाओं के संचालन के लिये दिवसों को भी सम्मिलित करें। अवकाश के दिनों, जन अवकाश के कारण शाला बंद रहने, समस्त शिक्षकों की अनुपस्थित रहने के कारण शाला बंद रहने, चुनाव या जनगणना जैसी गतिविधियों के कारण शाला का बंद रहना आदि कार्य दिवसों में शामिल न करें।
- ब) वर्तमान सत्र में शाला लगने के कुल समय में से बच्चों के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है, उल्लेख करें।
- स) वर्तमान सत्र में शाला लगने के कुल समय में से शिक्षकों के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है, उल्लेख करें।
2. यदि विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation) का क्रियान्वयन किया जा रहा है तो कोड 1 एवं नहीं किये जाने पर कोड 2 अंकित करें।
- अ) छात्रों के प्रवेश दिनांक से वर्तमान तक सतत अभिलेख (एक ही अभिलेख में छात्र के शैक्षिक, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, स्वास्थ्य आदि से संबंधित जानकारी का संधारण) का संधारण किये जाने पर कोड 1 अंकित करें अन्यथा कोड 2 अंकित करें।
- ब) यदि उक्त अभिलेख बच्चों के अभिभावकों को दिखाया जाता है तो कोड 1 अन्यथा कोड 2 लिखें।
- 3.1 यह जानकारी केवल गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय (Private unaided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।
- अ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यदि शाला को कमजोर एवं वंचित बच्चों द्वारा कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त हुए हों तो 3-1(अ) में ऐसे आवेदनों की संख्या लिखें।

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

→ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ←

- ब) उन बच्चों की संख्या लिखें जिन्हें कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है।
- 3.2 यह जानकारी केवल अनुदान प्राप्त अशासकीय (Private Aided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।  
अ) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु शासन से प्राप्त हुए अनुदान का प्रतिशत लिखें।  
ब) उन बच्चों की संख्या लिखें जिन्हें कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है।
- 3.3 यह जानकारी केवल शासकीय एवं अनुदान प्राप्त (Govt. and Aided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है। यदि विद्यालय में पालक शिक्षक संघ का गठन हो चुका हो तो कोड 1 लिखें अन्यथा कोड 2 लिखें।  
अ) पालक शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या लिखें।  
ब) पालक शिक्षक संघ में अभिभावकों की संख्या भरें।  
स) पालक शिक्षक संघ में नगर पंचायत / नगर पालिका/ नगर निगम/ छावनी परिषद अथवा अन्य स्थानीय निकाय के सदस्यों/प्रतिनिधियों की संख्या भरे।  
द) गत सत्र में पालक शिक्षक संघ की हुई बैठकों की संख्या भरें।  
इ) पालक शिक्षक संघ द्वारा विद्यालय के विकास की योजना तैयार की गई हो तो कोड 1 लिखें अन्यथा कोड 2 लिखें।  
फ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बच्चों की जानकारियाँ ठीक प्रकार संधारित की जाने की स्थिति में कोड 1 अन्यथा कोड 2 लिखें।  
ग) पालक शिक्षक संघ का पृथक से बैंक खाता संचालित होने पर कोड 1 अन्यथा कोड 2 लिखें। कोड 1 अंकित किये जाने पर बैंक का नाम, बैंक की शाखा, खाता क्रं एवं IFSC कोड लिखें। IFSC कोड हेतु बैंक की शाखा से संपर्क करें।
4. विशेष प्रशिक्षण का विवरण : शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शाला में नामांकित किया जाना है। बच्चे के शाला से बाहर होने की स्थिति में बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाया जाना है। ऐसे बच्चों हेतु उस कक्षा के योग्य बनाने एवं अपेक्षित दक्षता हासिल करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है। इस बिन्दु में इस श्रेणी के बच्चों की जानकारी प्रदान की जानी है।  
अ) वर्तमान सत्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए दर्ज बालक व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक लिखें।  
ब) वर्तमान सत्र में (30 सितम्बर तक) विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक व बालिकाओं की संख्या लिखें।  
स) गत सत्र में पूरे अकादमिक सत्र के लिए विशेष प्रशिक्षण हेतु दर्ज बालक व बालिकाओं की संख्या लिखें।  
द) 4.स) में दर्शित संख्या में से कितने बच्चों ने विशेष प्रशिक्षण पूर्ण किया ऐसे बच्चों की संख्या लिखें।  
इ) उक्तानुसार विशेष प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है उपयुक्त कोड लिखें। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिये जाने पर कोड 1, विशेष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने पर कोड 2, कुछ बच्चों को शिक्षकों एवं कुछ बच्चों को विशेष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने की स्थिति में अर्थात कोड क्रमांक 1 एवं 2 दोनों होने पर कोड 3 अंकित करें। अशासकीय संस्था (NGO) द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने पर कोड 4, एवं अन्य किसी के द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने पर कोड 5 अंकित किया जावे। कोई प्रशिक्षक न होने पर कोड 6 अंकित किया जाये।  
फ) उक्तानुसार विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है : विद्यालय के परिसर में दिये जाने पर कोड 1, विद्यालय परिसर से बाहर दिये जाने पर कोड 2 एवं कुछ बच्चों को परिसर के अंदर व कुछ बच्चों को परिसर के बाहर प्रशिक्षण दिये जाने पर कोड 3 अंकित करें।  
ग) विशेष प्रशिक्षण आवासीय प्रकार का होने पर कोड 1, गैर आवासीय होने पर कोड 2 एवं दोनों ही सही होने पर कोड 3 अंकित करें।  
द) विशेष प्रशिक्षण के संचालन के लिए कुल उपलब्ध शिक्षकों शैक्षिक स्वयंसेवक (Educational Volunteers) की संख्या लिखें।  
ह) 4.द) में दर्शित संख्या में से कितने शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है, संख्या लिखें।  
ज) विशेष प्रशिक्षण के आवश्यक सामग्री बच्चों के लिए उपलब्ध होने पर कोड 1 अन्यथा कोड 2 लिखें।
5. विद्यालय का वर्तमान शैक्षणिक सत्र जिस माह से प्रारंभ हुआ उसका क्रमांक (01 से 12) लिखें ?
6. वर्तमान सत्र में (30 सितम्बर की स्थिति में ) समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं तो कोड 1 अन्यथा कोड 2 अंकित करें। कोड 1 की स्थिति में 6.अ) में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होने का माह एवं वर्ष लिखें।
7. शाला में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, TLE (Teaching Learning Equipment) एवं खेल सामग्री की कक्षा वार उपलब्धता का विवरण दें।

## **B. शाला भवन उपकरण (सामग्री), सुविधाएं एवं फर्नीचर**

1. **शाला में भवन की स्थिति (School Building status) :** लागू होने वाले उचित विकल्पों का उल्लेख करें। शाला स्थिति के कोड नीचे दिए गये हैं।
- 1) **निजी (किराया मुक्त) :** ऐसा शाला भवन जो किसी व्यक्ति, संगठन के अधिकार में हो और स्थानीय निकाय अथवा शासन का नहीं हो उसे निजी माना जाएगा। उपयोगकर्ता के अधिकार स्थित ऐसा भवन जिसका किराया न दिया जा रहा हो (किराया मुक्त) उदाहरण के लिए निजी अनुदान प्राप्त शालाओं के स्वयं के भवन। भवन की स्थिति कोड '1' अंकित करें। शासकीय शालाओं के लिये लागू नहीं।

- 2) **निजी किराये पर** : व्यक्ति विशेष, निजी संगठन, स्थानीय निकाय अथवा शासन द्वारा संचालित ऐसी शालाएं जो किराये के भवनों में लग रही हों एवं उनके किराये का भुगतान किया जाता है। भवन की स्थिति कोड '2' अंकित करें।
  - 3) **शासकीय शाला** : ऐसा शाला भवन जो शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य ऐसे अभिकरण (उदाहरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/छावनी परिषद आदि) द्वारा शाला को दिया गया हो अथवा उस शाला हेतु निर्मित किया गया हो। भवन की स्थिति कोड '3' अंकित करें।
  - 4) **किराया मुक्त भवन में संचालित शासकीय शाला** : कुछ शासकीय शालाओं के स्वयं के भवन न होने के कारण समुदाय द्वारा उपलब्ध कराये गये भवनों में संचालित की जा रही है तथा समुदाय को भवन किराये का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। भवन की स्थिति कोड '4' अंकित करें।
  - 5) **भवन विहीन** : यदि शाला के पास किसी भी प्रकार का भवन उपलब्ध नहीं है ऐसी शालाओं को इस श्रेणी में उल्लेख किया जावे। भवन की स्थिति कोड '5' अंकित करें।
  - 6) **जीर्ण शीर्ण भवन** : निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर भवन को जीर्ण शीर्ण घोषित किया गया है। भवन की स्थिति कोड '6' अंकित करें।
  - 7) **निर्माणाधीन भवन** : सर्व शिक्षा अभियान अथवा अन्य किसी योजना अंतर्गत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो। भवन की स्थिति कोड '7' अंकित करें।
2. **शाला में भवन का प्रकार (भवन विहीन शालाओं द्वारा न भरा जावे):** इस प्रविष्टि में भवनों के प्रकार, भवन समूहों की संख्या, अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त कक्ष, कक्षाओं तथा अन्य कक्षाओं के विकल्प दिये गये हैं। उपलब्ध शाला भवनों के प्रकार हैं :
- i) **कक्षा शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या** : शाला परिसर में वर्तमान सत्र के दौरान जिनमें कक्षाएं संचालित की जा रही हैं की संख्या। यदि किसी बड़े हाल को लकड़ी ईंट के द्वारा विभाजित हो, प्रत्येक कक्ष को स्वतंत्र कक्षा कक्ष समझा जावे यदि किसी कक्ष में दो या अधिक कक्षाएं संचालित की जा रही हों तो उस कक्ष को लकड़ी/ईंट द्वारा विभाजित न किया गया हो तो ऐसे कक्ष को एकल कक्षा कक्ष समझा जावे। कार्यालयीन कक्षाओं, भण्डार, छोड़े गये कक्षाओं, क्रीड़ा कक्ष आदि को छोड़ दिया जावे शाला भवनों के प्रकार के आधार पर कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त कक्षा कक्षाओं की संख्या का वर्गीकरण किया जावे।
  - ii) **अन्य शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या** : शिक्षण कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं को इस श्रेणी में रखा जावे। इसके अन्तर्गत प्रधानाध्यापक कक्ष, पुस्तकालय-पठन कक्ष, क्रीड़ा कक्ष भण्डार, मनोरंजन कक्ष और अन्य कक्षाओं जिनका उपयोग शिक्षण के लिए नहीं किया जा रहा हो।
- अ) पक्का** : शाला भवन (शासकीय, किराये पर या समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया किराया मुक्त भवन) जो पक्की ईंट की दीवार हो, पत्थर की दीवार हो और फर्शी या लकड़ी/लोहे के गर्डर या टाइल्स की शीर्ष छत वाला हो को पक्का की श्रेणी में रखा जाएगा।
- टीप :** यदि शाला में कुछ पक्के कमरे और आंशिक पक्के कमरे हो ऐसी स्थिति में अधिक संख्या वाले को चयन करें। यदि भवन सुविधा में पक्के कक्षाओं की संख्या अधिक हो तो पक्का भवन माना जाएगा अथवा यदि आंशिक पक्के कमरों की संख्या अधिक हो तो आंशिक पक्का माना जाएगा।
- i) **कक्षा शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या**
    - अ) अच्छा : ऐसा कक्ष जिसे किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
    - ब) सामान्य सुधार योग्य : मुख्य रूप से जुड़ाव या फर्श अथवा छत या दीवार की प्लास्टर या टूटी हुई खिड़कियां या दरवाजे बदलाव।
    - स) अधिक मरम्मत योग्य : अधिक मरम्मत के अन्तर्गत पुनः निर्माण या दीवार अथवा छत की संख्या में बदलाव।
  - ii) **अन्य शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या**
    - अ) अच्छा : ऐसा कक्ष जिसे किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
    - ब) सामान्य सुधार योग्य : मुख्य रूप से जुड़ाव या फर्श अथवा छत या दीवार की प्लास्टर या टूटी हुई खिड़कियां या दरवाजे बदलाव।
    - स) अधिक मरम्मत योग्य : अधिक मरम्मत के अन्तर्गत पुनः निर्माण या दीवार अथवा छत की संख्या में बदलाव।
- ब) आंशिक पक्का** : शाला भवन (शासकीय, किराये पर या समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया किराया मुक्त भवन) जिसकी दीवारें पक्की ईंट या पत्थर की हों तथा छत कवेलू, एसबेसटस, घॉसफूस, छप्पर इत्यादि की हो को आंशिक रूप से पक्का की श्रेणी में रखा जाएगा।
- i) **कक्षा शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या**
    - अ) अच्छा : ऐसा कक्ष जिसे किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
    - ब) सामान्य सुधार योग्य : मुख्य रूप से जुड़ाव या फर्श अथवा छत या दीवार की प्लास्टर या टूटी हुई खिड़कियां या दरवाजे बदलाव।
    - स) अधिक मरम्मत योग्य : अधिक मरम्मत के अन्तर्गत पुनः निर्माण या दीवार अथवा छत की संख्या में बदलाव।

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

→ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ←

- ii) **अन्य शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या**  
 अ) अच्छा : ऐसा भवन जिसे किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।  
 ब) सामान्य सुधार योग्य : मुख्य रूप से जुड़ाव या फर्श अथवा छत या दीवार की प्लास्टर या टूटी हुई खिड़कियां या दरवाजे बदलाव।  
 स) अधिक मरम्मत योग्य : अधिक मरम्मत के अन्तर्गत पुनः निर्माण या दीवार अथवा छत की संख्या में बदलाव।
- स) **कच्चा** : शाला भवन (शासकीय, किराये पर या समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया किराया मुक्त भवन) जो कच्ची ईंटों या गारे की दीवारों तथा एसबेसटस या घॉसफूस की छत युक्त हो कच्चा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
- i) **कक्षा शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या**  
 अ) अच्छा : ऐसा कक्ष जिसे किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।  
 ब) सामान्य सुधार योग्य : मुख्य रूप से जुड़ाव या फर्श अथवा छत या दीवार की प्लास्टर या टूटी हुई खिड़कियां या दरवाजे बदलाव।  
 स) अधिक मरम्मत योग्य : अधिक मरम्मत के अन्तर्गत पुनः निर्माण या दीवार अथवा छत की संख्या में बदलाव।
- ii) **अन्य शिक्षण में उपयोग किये जा रहे कक्षाओं की संख्या**  
 अ) अच्छा : ऐसा भवन जिसे किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।  
 ब) सामान्य सुधार योग्य : मुख्य रूप से जुड़ाव या फर्श अथवा छत या दीवार की प्लास्टर या टूटी हुई खिड़कियां या दरवाजे बदलाव।  
 स) अधिक मरम्मत योग्य : अधिक मरम्मत के अन्तर्गत पुनः निर्माण या दीवार अथवा छत की संख्या में बदलाव।
- द) **तम्बू** : बल्लियों और रस्सियों की सहायता और केनवास के कपड़े निर्मित संरचना से संचालित शाला को तम्बू शाला माना जाएगा।
3. विद्यालय में निर्माणाधीन शिक्षण कक्षाओं (अतिरिक्त कक्षा) की संख्या अंकित करें।
  4. विद्यालय परिसर में अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं के लिये भूमि की उपलब्धता अंकित करें।
  5. विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा की उपलब्धता अंकित करें।
  6. **श्यामपट्टों की संख्या (Black-board)** : शाला में स्थित सभी प्रकार की श्यामपट्ट चाहे तो स्टैंड पर रखें लकड़ी के बने हो या दीवार पर बने हो या दीवार के आधार पर बच्चों के लिये बने श्यामपट्टों की संख्या का यहाँ उल्लेख किया जावे। ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड का आकलन भी इस हेतु किया जाये।
  7. **छात्रों के लिये भू-स्तर पर श्यामपट्ट और गतिविधि कार्नर वाले कक्षा कक्षाओं की संख्या** % छात्रों के लिये भू-स्तर पर श्यामपट्ट और गतिविधि वाले कक्षा कक्षाओं की संख्या यहाँ उल्लेख करें। इन कक्षाओं को आनन्ददायी कक्षा भी कहते हैं।
  8. **विद्यालय परिसर में शौचालय (Toilet) (मूत्रालय को छोड़ कर) %**  
 i) विद्यालय में उपलब्ध शौचालय की संख्या : बालकों (Boys) के लिये शौचालय, बालिकाओं (Girls) के लिये शौचालय, सह शौचालय (Common Toilets) एवं कुल शौचालय (Total Toilets)  
 ii) शौचालय की संख्या जो उपयोग करने लायक हैं : बालकों (Boys) के लिये शौचालय, बालिकाओं (Girls) के लिये शौचालय, सह शौचालय (Common Toilets) एवं कुल शौचालय (Total Toilets)
  9. **विद्यालय परिसर में पेयजल की सुविधा (Drinking Water)** : विद्यालय परिसर में उपयोग किये जाने वाले पेयजल की सुविधा के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करें। संभावित विकल्प हैं - 1 = हैंड पंप / 2 = कुआँ / 3 = नल / 4 = अन्य / 5=कोई नहीं उपयुक्त विकल्प अंकित करें।
  10. **विद्यालय में विद्युत व्यवस्था (Electricity)** : यदि विद्यालय में विद्युत उपकरण संचालित किये जा सकते हैं और शाला को विद्युत आपूर्ति है '1' अंकित करें नहीं तो '2' अंकित करें अथवा 3 = हाँ किन्तु कार्यशील नहीं अंकित करें।
  11. **चार दीवारी (Boundary Wall)** : दिये गए विकल्प है अच्छी स्थिति में 1 = पक्का / 2 = पक्का किन्तु टूटा हुआ / 3=तार की चार दीवारी / 4 = झाड़ी / 5 = चार दीवारी विहीन / 6 = अन्य / 7 = आंशिक / 8 = निर्माणाधीन अंकित करें।
  12. **पुस्तकालय (Library)** : यदि विद्यालय में पुस्तकालय है तो '1' अंकित करें और यदि नहीं तो '2' अंकित करें।  
**यदि हाँ** 12.अ) पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या लिखें।
  13. **नियमित पत्र (Newspaper)** : शाला में यदि नियमित रूप से समाचार पत्र या पत्रिकाएं आती हैं तो '1' अंकित करें और यदि नहीं तो '2' अंकित करें।
  14. **खेल मैदान (Play Ground)** : शाला परिसर में उपयुक्त खेल मैदान की व्यवस्था है तो '1' अंकित करें और यदि नहीं तो '2' अंकित करें।
  15. **कम्प्यूटरों की संख्या (Computers)** : शाला में उपलब्ध कुल कम्प्यूटरों की संख्या को अंकित करें। अ) कुल में से कार्यशील स्थिति में कम्प्यूटर की संख्या लिखें।
  16. **विद्यालय में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (CAL/Head Start)** : विद्यालय में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (CAL) की व्यवस्था है तो '1' अंकित करें और यदि नहीं तो '2' अंकित करें अथवा 3 = हाँ किन्तु कार्यशील नहीं अंकित करें।
  17. **छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण** % स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा भरे गये स्वास्थ्य पत्रकों को मान्य करें। यदि गत सत्र में छात्रों का चिकित्सा परीक्षण किया गया हो तो '1' अंकित करें अथवा '2' अंकित करें।

18. **फिसलपट्टी (Ramp) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिये** % विकलांग बच्चों की सुविधा के लिये यदि शाला में फिसलपट्टी का निर्माण किया गया है तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।
19. **शिक्षकों के लिये फर्नीचर की उपलब्धता** % शाला में यदि सभी शिक्षकों के लिये कुर्सी, टेबल हो तो '1' अंकित करें यदि कुछ शिक्षकों के लिये है तो '2' अन्यथा '3' अंकित करें।
20. **छात्रों के लिये फर्नीचर की उपलब्धता** % यदि सभी छात्रों के लिये कुर्सी, टेबल उपलब्ध है तो '1' अंकित करें यदि कुछ छात्रों के लिये है तो '2' अन्यथा '3' अंकित करें।
21. **विद्यालय की measured campus योजना :**

### B (i) मध्याह्न भोजन जानकारीयाँ

1. विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति प्रविष्ट की जानी है। मध्याह्न भोजन योजना लागू न होने की स्थिति में कोड 0, विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है तो कोड 1, विद्यालय परिसर में तैयार कर दिया जाता है तो कोड 2, भोजन दिया जाता है, किन्तु भोजन विद्यालय परिसर में बनता नहीं है तो कोड 3, अंकित करें।
  - i) यदि मध्याह्न भोजन विद्यालय में तैयार करके दिया जाता है।
    - अ) **विद्यालय में किचन शेड की स्थिति :** 1 = उपलब्ध है / 2 = उपलब्ध नहीं है / 3 = किचन शेड निर्माणाधीन है / 4 = विद्यालय के शिक्षण कक्ष का उपयोग किचन शेड के लिए अंकित करें।
    - ब) विद्यालय में भोजन तैयार करने हेतु उपलब्ध रसोईया एवं सहायकों की संख्या लिखें।
  - ii) यदि मध्याह्न भोजन विद्यालय परिसर में तैयार नहीं होता है।
    - अ) **मध्याह्न भोजन प्रदाय करने का स्रोत :** 1 = निकटम शाला से / 2 = अशासकीय संस्था (NGO) / 3 = स्व: सहायता समूह / 4 = पालक शिक्षक संघ / 5 = अन्य / 6 = ग्राम पंचायत अंकित करें।
2. विद्यालय को मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिये आवश्यक बर्तन/उपकरण एक बार क्य करने के लिए राशि प्राप्त हो गई है : राशि प्राप्त हो गई है तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।
3. मध्याह्न भोजन का चुनाव करने वाले बच्चों की संख्या : गत अकादमिक सत्र में कुल दर्ज बच्चों में से कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन ग्रहण करने हेतु अपनी सहमति दी है, संख्या लिखें।
4. **गत अकादमिक वर्ष में प्रदायित भोजन (meals) संख्या :** शाला में वर्ष भर में कितने दिन, कितने बच्चों को कितनी बार मध्याह्न भोजन प्रदान किया गया उसकी संख्या लिखें। उदाहरण: किसी शाला में पहले दिन 20 बच्चों को दूसरे दिन 17, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22, पांचवे दिन 19 बच्चों को दिन में एक बार भोजन दिया गया हो कुल 5 दिवसों में भोजन संख्या होगी  $20+17+21+22+19=99$  होगी। इसी प्रकार पूरे अकादमिक सत्र की गणना कर संख्या लिखें।
5. गत अकादमिक वर्ष में मध्याह्न भोजन प्रदान करने के दिवसों की संख्या लिखें
6. गत अकादमिक वर्ष में पर्यवेक्षक/अधिकारियों द्वारा मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या लिखना है।
7. गत वर्ष में मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु समुदाय के सदस्यों द्वारा किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या लिखना है।
8. क्या बच्चों का मध्याह्न भोजन करवाने हेतु पर्याप्त बर्तन विद्यालय में उपलब्ध है : पर्याप्त बर्तन विद्यालय में उपलब्ध है तो '1' अंकित करें अन्यथा '2' अंकित करें।

### C. शिक्षक विवरण

#### (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक (मिडिल) कक्षाओं को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिये)

1. **शिक्षक कोड** % राज्य/जिले के दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षक कोड का उल्लेख करें। **शिक्षक कोड** - स्कूल शिक्षा विभाग/आदिवासी विकास विभाग के एजुकेशन पोर्टल ([www.educationportal.mp.gov.in](http://www.educationportal.mp.gov.in)) में दिये गये **6 अंको का कोड** यहाँ पर भरा जाना है।
2. **शिक्षक का नाम (Teacher's Name):** कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार शिक्षक का पूर्ण नाम अंकित करें।
3. **लिंग (Teacher's Sex):** पुरुष के लिये '1' अंकित करें और महिला के लिये '2' उल्लेख करें।
4. **जन्मतिथि (Teacher's Date of Birth):** कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार शिक्षक जन्मतिथि को अंकित करें। (दिन/माह/वर्ष)
5. **शिक्षक की श्रेणी (Teacher's Category):** संभावित विकल्प 1 = सामान्य / 2 = अनु.जाति / 3 = अनु.ज.जा. / 4 = पिछड़ा वर्ग / 6 = अन्य

6. शिक्षक का प्रकार (Teacher's Type) :

शिक्षक का कोड (Teacher's Code)	शिक्षक का प्रकार (Teacher's Type)
1	प्रधानाध्यापक (Head Teacher)
3	शिक्षक (Teacher)
5	अंशकालीन इन्स्ट्रक्टर (Part time Instructor for middle school as per RTE)
10	सहायक शिक्षक (Asstt. Teacher)
11	अध्यापक
12	सहा. अध्यापक
13	संविदा शिक्षक वर्ग - 2 (Savida Shiksha-2)
14	संविदा शिक्षक वर्ग - 3 (Savida Karimi-2)
15	गुरुजी (Guruji)

- 1) **प्रधानाध्यापक (Head Master)** % शासकीय शालाओं में उच्च प्राथमिक और उससे बड़ी शालाओं में प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है। निम्न प्राथमिक शासकीय शालाओं में ऐसा पद विद्यमान नहीं है किंतु निम्न प्राथमिक शासकीय शालाओं का वरिष्ठतम शिक्षक प्रशासकीय कार्यों का वहन करता है। यद्यपि कुछ निजी विद्यालयों में यह स्थिति भिन्न भी हो सकती है और वहाँ निम्न प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक का पद हो सकता है। प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत होने पर '1' अंकित करें।
  - 2) **शिक्षक (Teacher)** % प्रधानाध्यापक को छोड़कर उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए '3' अंकित करें।
  - 5) **अंशकालीन इन्स्ट्रक्टर (Part time Instructor for UPS as per RTE)** % ऐसे अंशकालीन इन्स्ट्रक्टर जो कि अंश कालीन रूप से कार्यरत है तो ऐसे शिक्षकों का उल्लेख किया जावे।
  - 10) **सहायक शिक्षक (Asstt. Teacher)**
  - 11) **अध्यापक**
  - 12) **सहा. अध्यापक**
  - 13) **संविदा शिक्षक वर्ग - 2**
  - 14) **संविदा शिक्षक वर्ग - 3**
  - 15) **गुरुजी (Guruji)**
7. **वर्तमान सेवा में कर्तव्यारूढ़ होने का वर्ष (Year of Joining)** : कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार वर्तमान सेवा में कर्तव्यारूढ़ होने के वर्ष को अंकित करें।
8. **उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (Highest Qualification)** :
- अ) **अकादमिक (Educational)** % संभावित विकल्प इस प्रकार है - 1 = हाई स्कूल से कम / 2 = हाई स्कूल / 3 = हायर सेकेण्डरी / 10 = स्नातक (गणित) / 11 = स्नातक (जीवविज्ञान) / 12 = स्नातक (कला) / 13 = स्नातक (वाणिज्य) / 4 = स्नातक (अन्य) / 5 = स्नातकोत्तर / 6 = एम.फिल या पी.एच.डी.। उपयुक्त विकल्प को अंकित करें। उचित और अधिकतम योग्यता अंकित करें।
  - ब) **व्यवसायिक (Professional)** % संभावित विकल्प - 1 = कम से कम दो वर्षों का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या समकक्ष / 2 = प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (B.El. Ed.) या समकक्ष / 3 = B. Ed. या समकक्ष / 4 = M. Ed. या समकक्ष / 5 = अन्य / 6 = कोई नहीं / 7 = डिप्लोमा या डिग्री (विशेष शिक्षा में) / 10 = D.Ed. या समकक्ष उचित और अधिकतम व्यावसायिक योग्यता अंकित करें।
9. **कक्षाएं जो पढ़ाते हैं (Classes Taught)** % संभावित विकल्प इस प्रकार हैं - 1 = केवल प्राथमिक, 2 = केवल उच्च प्राथमिक, 3 = अधिकांशतः प्राथमिक, 4 = अधिकांशतः उच्च प्राथमिक, 5 = निश्चित नहीं उपयुक्त विकल्प को अंकित करें। शाला के कुल शिक्षकों की संख्या निम्न और उच्च प्राथमिक शाला संयुक्त होने की दशा में कुछ शिक्षकों द्वारा निम्न और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को संचालित किया जाता हो। ऐसी स्थिति में इन शिक्षकों द्वारा निम्न और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में व्यय किये गये कुल घंटों की संख्या की गणना करें। यदि प्राथमिक शाला में व्यय किये गये घंटे कुल व्यय किये गये समय के 50% से अधिक हो तो ऐसे शिक्षकों को निम्न प्राथमिक शाला के शिक्षक के रूप में चिन्हित करें। इसी प्रकार यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल व्यय किया गया समय से 50% से अधिक हो तो ऐसे शिक्षक की गणना उच्च प्राथमिक शाला के रूप में की जावे।
10. **मुख्य विषय जो पढ़ाते हैं (Subject Taught)** % संभावित विकल्प इस प्रकार हैं - 1 = सभी विषय / 2 = भाषाएँ (एक अथवा अधिक) / 3 = गणित / 4 = पर्यावरण अध्ययन / 5 = खेल-कूद / 6 = संगीत / 7 = विज्ञान / 8 = सामाजिक अध्ययन / 10 = केवल हिन्दी भाषा / 11 = केवल अंग्रेजी भाषा / 12 = केवल संस्कृत भाषा / 13 = केवल उर्दू भाषा / 91 = कला शिक्षण / 92 = शारीरिक शिक्षा / 93 = क्रियात्मक शिक्षा / 0 = अन्य **अध्यापन के मुख्य विषय दो भी हो सकते हैं।**
11. **गत अकादमिक सत्र में लिए गए सेवाकालीन प्रशिक्षण के दिवसों की संख्या** % सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन के भाग के रूप में सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी (विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, संकुल स्रोत समन्वयक, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, अन्य) के लिए गत अकादमिक सत्र में आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के दिवसों की संख्या का उल्लेख करें।

12. गैर शिक्षकीय कार्यों में प्रयुक्त किये गये दिवसों की संख्या % शिक्षकों द्वारा गैर शिक्षकीय कार्यों का निर्वहन जैसे - शिक्षा तथा अन्य विभागों के कार्यालयीन कार्यों (गैर शिक्षकीय) का आयोजन। गत अकादमिक सत्र के दौरान गैर शिक्षकीय कार्यालयीन कार्यों में व्यय किये गए दिवसों का उल्लेख करें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में उपस्थिति के दिवसों की संख्या को इसमें सम्मिलित न करें। गैर शिक्षकीय कार्यों में व्यय किए गए कार्य दिवसों में अवकाश दिवसों को सम्मिलित न करें।
13. **विषय किस स्तर तक अध्ययन किया है :**
- अ) **गणित विषय किस स्तर तक पढ़ा है (Maths. Studied):** संभावित विकल्प इस प्रकार है - 1=हाई स्कूल से कम / 2=हाई स्कूल / 3=हायर सेकेण्डरी / 10=स्नातक (गणित) / 11=स्नातक (जीवविज्ञान) / 12=स्नातक (कला) / 13=स्नातक (वाणिज्य) / 4=स्नातक (अन्य) / 5=स्नातकोत्तर / 6=एम.फिल या पी.एच.डी.। उपयुक्त विकल्प को अंकित करें। उचित और अधिकतम योग्यता अंकित करें।
- ब) **अंग्रेजी विषय किस स्तर तक पढ़ा है (English Studied):** संभावित विकल्प इस प्रकार है - 1=हाई स्कूल से कम / 2=हाई स्कूल / 3=हायर सेकेण्डरी / 10=स्नातक (गणित) / 11=स्नातक (जीवविज्ञान) / 12=स्नातक (कला) / 13=स्नातक (वाणिज्य) / 4=स्नातक (अन्य) / 5=स्नातकोत्तर / 6=एम.फिल या पी.एच.डी.। उपयुक्त विकल्प को अंकित करें। उचित और अधिकतम योग्यता अंकित करें।
- स) **सामाजिक अध्ययन विषय किस स्तर तक पढ़ा है (Social Studies):** संभावित विकल्प इस प्रकार है - 1=हाई स्कूल से कम / 2=हाई स्कूल / 3=हायर सेकेण्डरी / 10=स्नातक (गणित) / 11=स्नातक (जीवविज्ञान) / 12=स्नातक (कला) / 13=स्नातक (वाणिज्य) / 4=स्नातक (अन्य) / 5=स्नातकोत्तर / 6=एम.फिल या पी.एच.डी.। उपयुक्त विकल्प को अंकित करें। उचित और अधिकतम योग्यता अंकित करें।
14. **वर्तमान शाला में पदस्थापना का वर्ष (Year of Joining):** शिक्षक का शाला में पदस्थ होने का वर्ष भरा जाये।
15. **विकलांगता का प्रकार (यदि कोई है तो) :** विकलांगता के संभावित विकल्प इस प्रकार है - 1=लागू नहीं / 2=अस्थि संबंधी विकलांगता / 3=दृष्टि बाधित / 4=अन्य अंकित करें।
16. विशेष आवश्यकता (CWSN) बच्चों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित है तो '1' अंकित करें और नहीं तो '2' अंकित करें।
17. **शिक्षक का स्नातक स्तर पर मुख्य भाषा :** ऐसे शिक्षक जिनकी योग्यता स्नातक या अधिक है, की स्नातक स्तर पर मुख्य भाषा का कोड लिखें। स्नातक स्तर पर मुख्य भाषा के रूप में 1=लागू नहीं / 2=विशिष्ट हिन्दी भाषा / 3=विशिष्ट अंग्रेजी भाषा / 4=विशिष्ट संस्कृत भाषा / 5=विशिष्ट उर्दू भाषा / 6=विशिष्ट मराठी / 7=अन्य अंकित करें।
18. **विषय जिसके अध्यापन हेतु मुलतः नियुक्ती हुई है :** ऐसे विषयों का निम्नानुसार कोड लिखें -  
1=लागू नहीं / 2=गणित / 3=जीव विज्ञान / 4=भौतिक शास्त्र / 5=रसायन शास्त्र / 6=इतिहास / 7=भूगोल / 8=अर्थ शास्त्र / 10=समाज शास्त्र / 11=राजनीति विज्ञान / 12=विशिष्ट हिन्दी भाषा / 13=विशिष्ट अंग्रेजी भाषा / 14=विशिष्ट संस्कृत भाषा / 15=विशिष्ट उर्दू भाषा / 16=विशिष्ट मराठी / 17=अन्य अंकित करें।

### D. नव प्रवेशी एवं स्थानांतरण प्रकरण

1. **नव प्रवेशी 30 सित. के बाद, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के आधार पर (गत वर्ष) :** इस श्रेणी में गत अकादमिक सत्र में 30 सितम्बर के पश्चात् प्रत्येक कक्षा में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
  2. **नव प्रवेशी 30 सित. के बाद सीधी भर्ती (गत वर्ष) :** इस श्रेणी में गत अकादमिक सत्र में 30 सितम्बर के पश्चात् प्रत्येक कक्षा में सीधी भर्ती के आधार पर प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
  3. **नव प्रवेशी 30 सित. के पहले, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के आधार पर (वर्तमान वर्ष) :** इस श्रेणी में गत अकादमिक सत्र में 30 सितम्बर के पश्चात् प्रत्येक कक्षा में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
  4. **नव प्रवेशी 30 सित. के पहले सीधी भर्ती (वर्तमान वर्ष) :** इस श्रेणी में गत अकादमिक सत्र में 30 सितम्बर के पश्चात् प्रत्येक कक्षा में सीधी भर्ती के आधार पर प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
- निर्देश -** इसमें विशेष प्रशिक्षण हेतु आयु के मान से संबंधित कक्षा में सीधे भर्ती बच्चे भी शामिल होंगे।

### D (i) पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 में नव प्रवेशी (वर्तमान वर्ष)

1. इस सारणी के दो भाग हैं। प्रथम भाग में कक्षा 1 में दर्ज कुल बच्चों की आयु वार संख्या भरी जानी है।
2. सारणी के दूसरे भाग में ऐसे बच्चों की जानकारी जो कक्षा 1 में दर्ज होने के पहले, विगत सत्र में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (नर्सरी/केजी/बालवाड़ी/आँगनवाड़ी आदि) में अध्ययनरत थे। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की संस्थावार जानकारी निम्नानुसार देना है :  
अ) **इसी शाला में :** ऐसे बच्चों की संख्या जो इसी शाला की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में विगत सत्र में अध्ययनरत थे एवं इस वर्ष भी इसी शाला की कक्षा 1 में अध्ययनरत हैं।

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

- ब) **अन्य शाला से** : ऐसे बच्चों की संख्या जो किसी अन्य शाला की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में विगत सत्र में अध्ययनरत थे एवं इस वर्ष कक्षा 1 में इस शाला में प्रवेश लिया है।
- स) **आंगनवाडी या ई.सी.सी.ई केन्द्र से** : ऐसे बच्चों की संख्या जो किसी आंगनवाडी या ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में विगत सत्र में अध्ययनरत थे एवं इस वर्ष कक्षा 1 में इस शाला में प्रवेश लिया है।

### E. दर्ज नामांकन (वर्तमान वर्ष)

1. **कक्षाओं के वर्ग (Sections)** : शाला स्थित कक्षा के समस्त छात्रों को अध्यापन में सुविधा की दृष्टि से विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है। विशेषतः जब दर्ज संख्या अधिक हो तो प्रत्येक समूह वर्ग (Section) कहलाता है और प्रत्येक वर्ग में पृथक उपस्थिति पंजी का दर्ज किया जाता है। नामांकन के आधार पर एक कक्षा में एक अथवा अधिक वर्ग (Section) हो सकते हैं।
2. **विद्यालय** में यदि पूर्व प्राथमिक सुविधाये संचालित हैं तो उसमें दर्ज संख्या की जानकारी। दर्ज बालक /बालिका की जाति-वार संख्या भरना है।
3. **सामान्य छात्र (General)** : सामान्य श्रेणी के छात्रों की संख्या।
4. **अनुसूचित जाति के छात्र (Scheduled Caste)** : शासन के आदेश के अनुसार अनु. जाति में वर्गीकृत किये गये छात्रों की संख्या।
5. **अनुसूचित जन जाति के छात्र (Secheduled Tribe)** : शासन के आदेश के अनुसार अनु. जन जाति में वर्गीकृत छात्रों की संख्या।
6. **अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र (OBC)** : शासन के आदेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत छात्रों की संख्या।
7. **मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र** : कुल दर्ज संख्या में से मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों की दर्ज संख्या।

### F. वर्तमान अकादमिक सत्र में दर्ज नामांकन (आयुवार)

**आयु के पूर्ण किये गये वर्ष** % छात्रों के आयु की गणना 30 सितम्बर की स्थिति में शाला प्रवेशी पंजी के अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर की जावें। प्रत्येक बच्चों के आयु की गणना 30 सितम्बर की स्थिति में उसकी/उसका द्वारा पूर्ण किये गये वर्षों के आधार पर की जावें। (भिन्न को संभावित करें। यदि कोई बालक 30-9-2010 की स्थिति में 7 वर्ष 11 माह को होता है तो अभिलेख 7 वर्ष किया जायेगा न कि 8 वर्ष)

**निर्देश -** इस में अंकित कुल योग छात्र/छात्राओं की संख्या का मिलान तालिका E में अंकित कुल दर्ज संख्या छात्र/छात्राओं संख्या से करें।

### G. शिक्षण के माध्यम अनुसार दर्ज नामांकन (वर्तमान वर्ष)

इस सारणी में छात्रों की संख्या का अनुदेशन के माध्यम कक्षा और लिंग के आधार पर उल्लेख किया जावें। इसमें अनुदेशन के माध्यम दिये गये संख्या से सुमेल करते हुए हो।

**निर्देश -** इस में अंकित कुल योग छात्र/छात्राओं की संख्या का मिलान तालिका F में अंकित कुल दर्ज संख्या छात्र/छात्राओं संख्या से करें।

### H. अनुतीर्ण एवं पुनः प्रवेशी (वर्तमान वर्ष)

1. **सामान्य छात्र (General)** : सामान्य श्रेणी के छात्रों की संख्या।
2. **अनुसूचित जाति के छात्र (Scheduled Caste)** : शासन के आदेश के अनुसार अनु. जाति में वर्गीकृत किये गये छात्रों की संख्या।
3. **अनुसूचित जन जाति के छात्र (Secheduled Tribe)** : शासन के आदेश के अनुसार अनु. जन जाति में वर्गीकृत छात्रों की संख्या।
4. **अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र (OBC)** : शासन के आदेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत छात्रों की संख्या।
5. **मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र** : कुल रिपीटरस् में से मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या।

## I. प्रोत्साहन (गत अकादमिक सत्र में प्राथमिक कक्षाओं को दिये गये)

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, कुल योग एवं कुल योग में से मुस्लिम अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों की जानकारी इस में अंकित की जावे।

1. **निशुल्क पाठ्य पुस्तकें** % गत अकादमिक सत्र में शासन द्वारा निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित किये गये कुल छात्रों की संख्या का अंकित करें।
2. **निशुल्क स्टेशनरी** % इस श्रेणी में निशुल्क प्रदायित स्टेशनरी जैसे - पेन, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि दिये गये कुल छात्रों की संख्या का उल्लेख करें। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में इस प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं है।
3. **निशुल्क गणवेश** % गत अकादमिक सत्र में शासन द्वारा कितनी छात्राओं को निशुल्क गणवेश वितरित की गई, संख्या का उल्लेख करें।
4. **छात्रवृत्ति** % इस श्रेणी में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति (यदि लागू हो) प्राप्त छात्रों की संख्या का उल्लेख करें।
5. **निशुल्क परिवहन सुविधा** % शाला के छात्र-छात्राओं की संख्या जिनको निशुल्क परिवहन सुविधा दी जाती है।
6. **निशुल्क आवास सुविधा** : शाला के छात्र-छात्राओं की संख्या जिनको निशुल्क आवास सुविधा दी जाती है।

## J. प्रोत्साहन (गत अकादमिक सत्र में केवल माध्यमिक (मिडिल) कक्षाओं का दिये गये)

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, कुल योग एवं कुल योग में से मुस्लिम अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों की जानकारी इस में अंकित की जावे।

1. **निशुल्क पाठ्य पुस्तकें** % गत अकादमिक सत्र में शासन द्वारा निशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित किये गये कुल छात्रों की संख्या का अंकित करें।
2. **निशुल्क स्टेशनरी** % इस श्रेणी में निशुल्क प्रदायित स्टेशनरी जैसे - पेन, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका आदि दिये गये कुल छात्रों की संख्या का उल्लेख करें। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में इस प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं है।
3. **निशुल्क शाला गणवेश** % गत अकादमिक सत्र में शासन द्वारा निशुल्क वितरित शाला गणवेश प्रदाय किये गये छात्रों की संख्या का उल्लेख करें।
4. **छात्रवृत्ति** % इस श्रेणी में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति (यदि लागू हो) प्राप्त छात्रों की संख्या का उल्लेख करें।
5. **निशुल्क परिवहन सुविधा** % शाला के छात्र-छात्राओं की संख्या जिनको निशुल्क परिवहन सुविधा दी जाती है।
6. **निशुल्क आवास सुविधा** : शाला के छात्र-छात्राओं की संख्या जिनको निशुल्क आवास सुविधा दी जाती है।
7. **निशुल्क साइकिल** : पात्र छात्राओं की संख्या भरे जिन्हें गत वर्ष साइकिल वितरित की गई।

## L. विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चों की जानकारी (वर्तमान वर्ष)

1. **पूर्ण दृष्टि बाधित** : पूर्णतः दृष्टिबाधित, आंशिक दृष्टिबाधित तथा एक आंख वाले दर्ज बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
2. **आंशिक दृष्टिबाधित (अल्पदृष्टि)** :
3. **मूक बधिर** : मूक बधिर दर्ज बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
4. **वाणी दोष** : शुद्ध उच्चारण न कर पाने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख करें। इसमें तुतलाने एवं हकलाने वाले बच्चे शामिल नहीं होंगे परंतु जिनके बोलने के तंत्र में खराबी हो, ऐसे बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
5. **अस्थि बाधित** : अस्थि दोष वाले दर्ज बच्चों की संख्या उल्लेखित करें।
6. **मानसिक विकलांग** : मानसिक विकलांग, मानसिक मंदता वाले दर्ज बच्चों की संख्या का उल्लेख करें।
7. **अधिगम विकलांग** :
8. **सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क अंगघात)** :
9. **आटिज़्म** :
10. **बहुविकलांग** : एक से अधिक विकलांग दर्ज बच्चों की संख्या उल्लेखित करें।

सहयोग - श्री विनय पाण्डे, श्री गिरीश सकसेना एवं श्री अनिल सामदेकर

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀



## A(i) School Particulars

### विद्यालय का विवरण

1. विद्यालय से संलग्न पूर्व प्राथमिक (जैसे नर्सरी/एल.के.जी/यू.के.जी) शैक्षिक सुविधाएं (आंगनवाड़ी छोड़ कर) (1 = हाँ / 2 = नहीं)
- यदि हाँ** अ) कुल छात्र संख्या   
 ब) कुल शिक्षिका/सहायिका/दीदी
2. विद्यालय से संलग्न आंगनवाड़ी (यदि विद्यालय परिसर में हो) (1 = हाँ / 2 = नहीं)
- यदि हाँ** अ) कुल छात्र संख्या   
 ब) कुल शिक्षिका/सहायिका/दीदी
3. आवासीय शाला (Residential School) (1 = हाँ / 2 = नहीं)
- यदि हाँ** अ) विद्यालय का प्रकार (1 = आश्रम शाला शासकीय / 2 = गैर आश्रम शाला शासकीय / 3 = निजी (प्राइवेट) / 4 = अन्य / 6 = KGBV मॉडल)
4. क्या यह स्पेशल स्कूल विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चों के लिये हैं? (1 = हाँ / 2 = नहीं)
5. विद्यालय भवन में शाला पारी (शिफ्ट) में लगती है? (1 = हाँ / 2 = नहीं)
6. विद्यालय के गत अकादमिक वर्ष का विवरण गत अकादमिक वर्ष 1 अप्रैल'2009 से 31 मार्च'2010 की स्थिति में  
**केवल शासकीय एवं अनुदान प्राप्त (Govt. and Aided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।**
- अ) अकादमिक अवलोकन की संख्या (संख्या लिखें)   
 ब) जन शिक्षक द्वारा किये गए शैक्षिक भ्रमणों की संख्या (संख्या लिखें)   
 स) विकासखण्ड स्रोत / शैक्षिक समन्वयकों द्वारा किये गए भ्रमणों की संख्या (संख्या लिखें)   
 द) विकासखण्ड के मोबाइल स्रोत सलाहकार द्वारा किये गये भ्रमणों की संख्या (संख्या लिखें)
7. विद्यालय की वित्तीय जानकारी गत वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल'2009 से 31 मार्च'2010 की स्थिति में  
**केवल शासकीय (Govt.) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।**
- प्राप्त राशि  $\frac{1}{R}\frac{1}{2}$  व्यय राशि  $\frac{1}{R}\frac{1}{2}$
- अ) शाला विकास अनुदान (सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत)   
 ब) शाला मरम्मत अनुदान (School Maintenance Grant)   
 स) सीखना सिखाना सामग्री अनुदान (TLM Grant/ शिक्षक निधि)   
 द) अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान
8. विद्यालय में स्टाफ की स्थिति (केवल प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कराने वाले)

	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	
		प्राथमिक स्तर	मिडिल स्तर
अ) शैक्षणिक स्टाफ - प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सहा. शिक्षक, अध्यापक, सहा. अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग - 2 या वर्ग - 3, गुरुजी (अतिथि शिक्षक को छोड़कर)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ब) पेरा शिक्षक - (सामुदायिक शिक्षक)		00	00
स) अंशकालीन इन्स्ट्रक्टर (केवल मिडिल स्तर के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार)			<input type="text"/> <input type="text"/>
द) गैर शिक्षकीय अमला - कार्यालयीन लिपिक, टंकण, लेखापाल, चौकीदार, भृत्य, जमादार आदि शामिल हैं।			<input type="text"/> <input type="text"/>

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

## A(ii) School Particulars (for RTE Specific Information)

### विद्यालय का विवरण (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए)

1. विद्यालय के शिक्षण दिवस एवं समयावधि का विवरण :

	प्राथमिक स्तर	मिडिल स्तर
गत सत्र में विद्यालय लगने के कुल दिवसों की संख्या।		
वर्तमान सत्र में बच्चों के लिए प्रतिदिन शाला का समय कितने घंटे निर्धारित है।		
वर्तमान सत्र में शिक्षकों के लिए प्रतिदिन शाला का समय कितने घंटे निर्धारित है।		

2. क्या विद्यालय में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (1 = हाँ / 2 = नहीं)

यदि हाँ

अ) क्या छात्रों का cumulative (प्रवेश से वर्तमान वर्ष तक) रिकार्ड रखा जाता है? (1 = हाँ / 2 = नहीं)

ब) क्या छात्रों का cumulative रिकार्ड उनके अभिभावकों को दिखाया जाता है? (1 = हाँ / 2 = नहीं)

**3.1 केवल गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय (Private unaided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।**

अ) वर्तमान सत्र में कमजोर अथवा वंचित वर्ग के कितने बच्चों ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन दिये (under 25% quote as per RTE)? <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□□
ब) वर्तमान सत्र में कमजोर अथवा वंचित वर्ग के कितने बच्चों को कक्षा 1 में दर्ज किया गया? <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□□

**3.2 केवल अनुदान प्राप्त अशासकीय (Aided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।**

अ) प्रारंभिक शिक्षा हेतु विद्यालय को कितने प्रतिशत अनुदान शासन से प्राप्त हुआ? <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□□
ब) निशुल्क शिक्षा हेतु कुल कितने बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया? <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□□

**3.3 केवल शासकीय एवं अनुदान प्राप्त (Govt. and Aided) विद्यालय द्वारा भरा जाना है।**

क्या विद्यालय में पालक शिक्षक संघ (PTA) का गठन हो गया है? (1 = हाँ / 2 = नहीं)

यदि हाँ

		पुरुष	महिला
अ) पालक शिक्षक संघ में कुल सदस्यों की संख्या भरें <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□	□□	□□
ब) इसमें अभिभावकों की संख्या भरें <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□	□□	□□
स) स्थानीय निकाय के सदस्यों/प्रतिनिधियों की संख्या भरें <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□	□□	□□
द) गत सत्र में हुई पी.टी.ए. बैठकों की संख्या भरें <span style="float: right;">(संख्या लिखें)</span>	□□	□□	□□
इ) पी.टी.ए. द्वारा विद्यालय विकास की योजना तैयार की गई? <span style="float: right;">(1 = हाँ / 2 = नहीं)</span>			□
फ) क्या बच्चों से संबंधित जानकारी RTE के अनुसार ठीक प्रकार संधारित की जा रही है? <span style="float: right;">(1 = हाँ / 2 = नहीं)</span>			□
ग) क्या पी.टी.ए. का पृथक से बैंक खाता खोला गया है? <span style="float: right;">(1 = हाँ / 2 = नहीं)</span>			□

यदि हाँ

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

बैंक की शाखा का नाम \_\_\_\_\_

बैंक खाता क्रमांक

IFSC कोड (यदि हो तों)

“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

**4. विशेष प्रशिक्षण का विवरण :**

	बालक	बालिका
अ) वर्तमान सत्र में विशेष प्रशिक्षण के लिए दर्ज बच्चों की संख्या	□□	□□
ब) वर्तमान सत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या (30 सितम्बर तक)	□□	□□
स) गत सत्र में पूरे अकादमिक सत्र के लिए विशेष प्रशिक्षण हेतु दर्ज बच्चों की संख्या	□□	□□
द) गत सत्र में विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करने वालों बच्चों की संख्या	□□	□□
इ) विशेष प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है ? (1= विद्यालय के शिक्षकों द्वारा / 2= विशेष प्रकार के प्रशिक्षक द्वारा / 3= दोनों प्रकार (कोड क्रमांक 1 एवं 2) / 4= अशासकीय संस्था (NGO) द्वारा / 5= अन्य / 6= कोई नहीं )		□
फ) विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है ? (1= विद्यालय के परिसर में/ 2= विद्यालय परिसर से बाहर/ 3= दोनों प्रकार से (कोड क्रमांक 1 एवं 2))		□
ग) विशेष प्रशिक्षण किस प्रकार का है ? (1= आवासीय / 2= गैर आवासीय / 3= दोनों प्रकार से (कोड क्रमांक 1 एवं 2))		□
द) विशेष प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध शिक्षकों / शैक्षिक स्वयंसेवक (EVs) की संख्या	(संख्या लिखें)	□□
ह) शिक्षकों की संख्या जिन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है	(संख्या लिखें)	□□
ज) विशेष प्रशिक्षण के आवश्यक सामग्री बच्चों के लिए उपलब्ध हैं ?		(1 = हाँ / 2 = नहीं ) □

5. विद्यालय का वर्तमान शैक्षणिक सत्र किस माह प्रारंभ हुआ ? माह लिखें □□

6. क्या वर्तमान सत्र में छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें (30 सितम्बर तक) प्राप्त हो गई हैं ? (1 = हाँ / 2 = नहीं ) □  
यदि हाँ अ) वर्तमान सत्र में छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई ? माह □□ वर्ष □□□□

**7. शाला में पाठ्य पुस्तक, TLE एवं खेल सामग्री की उपलब्धता का विवरण :**

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
अ) निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट की उपलब्धता स्थिति (0 = लागू नहीं / 1 = हाँ / 2 = नहीं)								
ब) TLE की सभी ग्रेड (कक्षाओं) में उपलब्धता (1 = हाँ / 2 = नहीं )								
स) खेल सामग्री की ग्रेड-वार (कक्षाओं) उपलब्धता (1 = हाँ / 2 = नहीं )								

## B. School Building/Equipment/Facilities/Furniture विद्यालय में भवन, उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएँ

1. विद्यालय में भवन की स्थिति ? ( 1 = निजी (प्राइवेट) / 2 = किराये पर / 3 = शासकीय / 4 = किराया मुक्त शासकीय भवन / 5 = भवन विहीन / 6 = जीर्ण शीर्ण भवन / 7 = निर्माणाधीन भवन )
2. विद्यालय में शिक्षण कक्ष तथा अन्य कक्षों की स्थिति। (भवन विहीन/निर्माणाधीन शालाओं द्वारा नहीं भरा जावे )
- i) कुल शिक्षण कक्षों (Class Rooms) की संख्या
- ii) कुल अन्य कक्षों (Other Rooms) की संख्या
- विद्यालय में भवन का प्रकार ( भवन विहीन/निर्माणाधीन शालाओं द्वारा नहीं भरा जावे )

प्रकार	शिक्षण कक्षों की संख्या (No. of Class Rooms)			अन्य कक्षों की संख्या (No. of Other Rooms)		
	अच्छी स्थिति (Good Condition)	सामान्य सुधार योग्य (Minor Repair)	अधिक मरम्मत योग्य (Major Repair)	अच्छी स्थिति (Good Condition)	सामान्य सुधार योग्य (Minor Repair)	अधिक मरम्मत योग्य (Major Repair)
अ) पक्का						
ब) आंशिक पक्का						
स) कच्चा						
द) तंबु / टेन्ट						

3. विद्यालय में निर्माणाधीन शिक्षण कक्षों की संख्या (अतिरिक्त कक्ष निर्माण) (संख्या लिखें)
4. विद्यालय परिसर में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के लिये भूमि की उपलब्धता ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
5. विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्ष की उपलब्धता ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
6. विद्यालय में श्यामपट्टों (Black Board/Green Board/white Board) की संख्या (संख्या लिखें)
- (सभी प्रकार के श्यामपट्ट जिनका उपयोग हो रहा है, भूमि स्तर श्यामपट्ट छोड़कर )
7. शिक्षण कक्षों की संख्या जिसमें भूमिस्तर श्यामपट्ट एवं गतिविधि कार्नर उपलब्ध हैं (संख्या लिखें)
8. विद्यालय में उपलब्ध शौचालय की स्थिति ( मूत्रालय को छोड़ कर )

	बालकों (Boys) के लिये शौचालय	बालिकाओं (Girls) के लिये शौचालय	सह शौचालय (Comm. Toilets)	कुल शौचालय (Total Toilets)
विद्यालय में उपलब्ध शौचालय (टॉयलेट सीट) की संख्या				
विद्यालय में उपयोग करने योग्य शौचालय (टॉयलेट सीट)की संख्या				

9. विद्यालय परिसर में प्रायः उपयोग में आने वाली पेय जल सुविधा (Drinking Water) ?  
( 1 = हैंड पंप / 2 = कुआँ / 3 = नल / 4 = अन्य / 5 = कोई नहीं )
9. अ) विद्यालय परिसर में पेय जल सुविधा कार्यशील ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
10. विद्यालय में विद्युत व्यवस्था ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं / 3 = हाँ किन्तु कार्यशील नहीं )
11. विद्यालय परिसर की चार दिवारी (Boundary Wall) ? ( 1 = पक्का / 2 = पक्का किन्तु टूटा हुआ / 3 = तार की चार दिवारी / 4 = झाड़ी / 5 = कोई चार दिवारी नहीं / 6 = अन्य / 7 = आंशिक / 8 = निर्माणाधीन )
12. विद्यालय में पुस्तकालय (Library) उपलब्ध है ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
- यदि हाँ** 12. अ) पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या (संख्या लिखें)
13. विद्यालय में दैनिक समाचार पत्र अथवा पत्रिकाये नियमत रूप से मंगाई जाती हैं ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
14. विद्यालय में खेल मैदान (Play Ground) उपलब्ध हैं ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
- यदि नहीं** 14. अ) विद्यालय में खेल मैदान बनाने के लिए स्थान उपलब्ध हैं ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )

“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

15. विद्यालय में कुल उपलब्ध कम्प्यूटर की संख्या (संख्या लिखें)
15. अ) कुल कम्प्यूटर कार्यशील स्थिति में (संख्या लिखें)
16. शाला में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (CAL/Head Start) हैं ? (1 = हाँ / 2 = नहीं / 3 = हाँ किन्तु कार्यशील नहीं)
17. विद्यालय में पिछले वर्ष छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
18. विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चों के लिए रेम्प (RAMP) की सुविधा ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
- यदि हाँ** 18. अ) रेम्प में हैण्ड रेल की सुविधा उपलब्ध हैं ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
19. विद्यालय में शिक्षकों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता ( 1 =पर्याप्त / 2 =अपर्याप्त / 2 =अनुपलब्ध)
20. विद्यालय में छात्रों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता ( 1 =पर्याप्त / 2 =अपर्याप्त / 2 =अनुपलब्ध)
21. विद्यालय की measured campus योजना तैयार हैं ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )

## B(i) Mid Day Meal Information

### मध्याह्न भोजन जानकारीयाँ

(केवल शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं हेतु)

1. विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति:  
( 0 = लागू नहीं / 1 = नहीं दिया जाता है / 2 = विद्यालय परिसर में तैयार कर दिया जाता है / 3 = भोजन दिया जाता है, किन्तु भोजन विद्यालय परिसर में बनता नहीं है )
- i) यदि मध्याह्न भोजन विद्यालय में तैयार करके दिया जाता है।  
अ) विद्यालय में किचन शेड की स्थिति:  
( 0 = लागू नहीं / 1 = उपलब्ध है / 2 = उपलब्ध नहीं है / 3 = किचन शेड निर्माणाधीन है / 4 = विद्यालय के शिक्षण कक्ष का उपयोग किचन शेड के लिए )
- ब) मध्याह्न भोजन बनाने के लिए कुल रसोईया/सहायकों संख्या पुरुष  महिला
- स) मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए उपयोग होने वाला ईंधन:  
( 0 = लागू नहीं / 1 = गैस / 2 = जलाऊ लकड़ी / 3 = कोयला / 4 = अन्य )
- द) मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए पानी की उपलब्धता ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
- ii) यदि मध्याह्न भोजन विद्यालय परिसर में तैयार नहीं होता है, तो मध्याह्न भोजन प्रदाय करने का स्रोत: ( 0 = लागू नहीं / 1 = निकटम शाला से / 2 = अशासकीय संस्था (NGO) / 3 = स्व: सहायता समूह / 4 = पालक शिक्षक संघ / 5 = अन्य / 6 = ग्राम पंचायत )
2. क्या विद्यालय को मध्याह्न भोजन तैयार करने के आवश्यक बर्तन/उपकरण एक बार कय करने के लिए राशि प्राप्त हो गई है ? ( 1 = हाँ / 2 = नहीं )
3. गत वर्ष में मध्याह्न भोजन ग्रहण (opte) करने वाले बच्चों की संख्या  
बालक  बालिका
4. गत अकादमिक वर्ष में प्रदाय कुल मध्याह्न भोजन (meals) की संख्या (संख्या लिखें)
5. गत अकादमिक वर्ष में मध्याह्न भोजन प्रदाय करने के कुल दिवस (संख्या लिखें)
6. गत अकादमिक वर्ष में पर्यवेक्षक/अधिकारियों द्वारा किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या
7. गत वर्ष में समुदाय के सदस्यों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या (संख्या लिखें)
8. क्या बच्चों का मध्याह्न भोजन करवाने हेतु पर्याप्त बर्तन विद्यालय में उपलब्ध हैं ?  
( 1 = हाँ / 2 = नहीं )

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

**C. Teacher's Details (Only for teachers those are teaching Primary & Upper Primary Classes)**

शिक्षक विवरण (केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक (मिडिल) कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कराने वाले)

क्र.सं.	शिक्षक कोड* पोर्टल Unique ID	शिक्षक का नाम	लिंग (Sex) <sup>1</sup>	जन्म तिथि (तिथि/ माह / वर्ष)	शिक्षक श्रेणी (Teacher's Category) <sup>2</sup>	शिक्षक का प्रकार (Teacher's Type) <sup>3</sup>	सेवा प्रारंभ व.सं. व.सं.	उच्चतम शैक्षणिक योग्यता		अध्यापन की कक्षा <sup>6</sup>	अध्यापन का मुख्य विषय <sup>7</sup>	गत शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया				गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों की संख्या	विषय किस स्तर तक अध्ययन किया ? <sup>8</sup>			वर्तमान शाला में पदस्थापना का वर्ष	विकलांगता का प्रकार (यदि कोई है तो) <sup>8</sup>	विशेष आवश्यकता (CWSN) बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित ? (1=है / 2= नहीं)	स्नातक स्तर पर मुख्य भाषा के रूप में अध्यापन <sup>9</sup>	विषय जिसके अध्यापन हेतु मुलतः नियुक्ती हुई है <sup>10</sup>	
								शैक्षणिक <sup>4</sup>	व्यावसायिक <sup>5</sup>			विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र (BRC)	जन शिक्षा केन्द्र (JSK)	डाइट (DIET/DRC)	अन्य		गणित <sup>4</sup>	अंग्रेजी / भाषा <sup>4</sup>	सामाजिक अध्ययन <sup>4</sup>						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1.																									
2.																									
3.																									
4.																									
5.																									
6.																									
7.																									
8.																									
9.																									
10.																									

नोट : यदि आवश्यकता हो तो अलग से शीट संलग्न करें। \*\* अध्यापन के मुख्य विषय दो भी हो सकते हैं ।

\* शिक्षक कोड - म.प्र. एजुकेशन पोर्टल (www.educationportal.mp.gov.in) से 6 अंको का यूनिक कोड भरा जाना है।

“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”  
 ➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

- 1 1 = पुरुष / 2 = महिला (कॉलम क्रमांक 4 में प्रविष्टि हेतु)
- 2 1 = सामान्य / 2 = अनु. जाति / 3 = अनु. जन. जाति / 4 = अन्य पिछड़ा वर्ग / 6 = अन्य (कॉलम क्रमांक 6 में प्रविष्टि हेतु)
- 3 1 = प्रधानाध्यापक / 3 = शिक्षक (Teacher) / 5 = अंशकालीन शिक्षक / 10 = सहायक शिक्षक (Asstt. Teacher) / 11 = अध्यापक / 12 = सहा. अध्यापक / 13 = संविदा शिक्षक वर्ग-2 / 14 = संविदा शिक्षक वर्ग-3 / 15 = गुरुजी (कॉलम क्रमांक 7 में प्रविष्टि हेतु)
- 4 1 = हाई स्कूल से कम / 2 = हाई स्कूल / 3 = हायर सेकेण्डरी / 10 = स्नातक (गणित) / 11 = स्नातक (जीवविज्ञान) / 12 = स्नातक (कला) / 13 = स्नातक (वाणिज्य) / 4 = स्नातक (अन्य) / 5 = स्नातकोत्तर / 6 = एम.फिल या पी.एच.डी. (कॉलम क्रमांक 9, 19, 20, 21 में प्रविष्टि हेतु)
- 5 1 = D.Ed. (कम से कम दो वर्षों का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट) या समकक्ष / 2 = प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (B..El. Ed.) या समकक्ष / 3 = B. Ed. या समकक्ष / 4 = M. Ed. या समकक्ष / 5 = अन्य / 6 = कोई नहीं / 7 = डिप्लोमा या डिग्री (विशेष शिक्षा में) (कॉलम क्रमांक 10 में प्रविष्टि हेतु)
- 6 1 = केवल प्राथमिक / 2 = केवल उच्च प्राथमिक (माध्यमिक) / 3 = अधिकांशतः प्राथमिक / 4 = अधिकांशतः उच्च प्राथमिक (माध्यमिक) (कॉलम क्रमांक 11 में प्रविष्टि हेतु)
- 7 1 = सभी विषय / 2 = भाषायें (एक अथवा अधिक) / 3 = गणित / 4 = पर्यावरण अध्ययन / 5 = खेल-कूद / 6 = संगीत / 7 = विज्ञान / 8 = सामाजिक अध्ययन / 10 = केवल हिन्दी भाषा / 11 = केवल अंग्रेजी भाषा / 12 = केवल संस्कृत भाषा / 13 = केवल उर्दू भाषा / 91 = कला शिक्षण / 92 = शारीरिक शिक्षा / 93 = क्रियात्मक शिक्षा / 0 = अन्य (कॉलम क्रमांक 12, 13 में प्रविष्टि हेतु)
- 8 1 = लागू नहीं / 2 = अस्थि संबंधि विकलांगता / 3 = दृष्टि बाधित / 4 = अन्य (कॉलम क्रमांक 23 में प्रविष्टि हेतु)
- 9 1 = लागू नहीं / 2 = विशिष्ट हिन्दी भाषा / 3 = विशिष्ट अंग्रेजी भाषा / 4 = विशिष्ट संस्कृत भाषा / 5 = विशिष्ट उर्दू भाषा / 6 = विशिष्ट मराठी / 7 = अन्य (कॉलम क्रमांक 25 में प्रविष्टि हेतु)
- 10 1 = लागू नहीं / 2 = गणित / 3 = जीव विज्ञान / 4 = भौतिक शास्त्र / 5 = रसायन शास्त्र / 6 = इतिहास / 7 = भूगोल / 8 = अर्थ शास्त्र / 10 = समाज शास्त्र / 11 = राजनीति विज्ञान / 12 = विशिष्ट हिन्दी भाषा / 13 = विशिष्ट अंग्रेजी भाषा / 14 = विशिष्ट संस्कृत भाषा / 15 = विशिष्ट उर्दू भाषा / 16 = विशिष्ट मराठी / 17 = अन्य (कॉलम क्रमांक 26 में प्रविष्टि हेतु)

**D. New Admission and Transfer cases (Previous and Current Academic Session)**

नव प्रवेशी एवं स्थानान्तरण प्रकरण (गत सत्र एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में)

कक्षा		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
गत शैक्षणिक सत्र	नव प्रवेशी 30 सित. के बाद, टी.सी. के आधार पर																
	नव प्रवेशी 30 सित. के बाद, सीधी भर्ती द्वारा																
वर्तमान शैक्षिक सत्र	नव प्रवेशी 30 सित. के तक, टी.सी. के आधार पर																
	नव प्रवेशी 30 सित. के तक, सीधी भर्ती द्वारा																

निर्देश - इसमें वे बच्चे भी शामिल होंगे जो कि विशेष प्रशिक्षण हेतु आयु के मान से संबंधित कक्षा में सीधे भर्ती हुए हैं।

**D. (i) New Admissions in Grade I (Current academic session)**

कक्षा 1 में नवप्रवेशी बच्चों की जानकारी (वर्तमान शैक्षणिक सत्र में)

	आयु (वर्ष में)					कक्षा 1 में दर्ज कुल बच्चों की संख्या	ऐसी बच्चों की संख्या जिनको पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का अनुभव है		
	< 5	5	6	7	> 7		इसी शाला के (कक्षा 1 की कुल दर्ज संख्या में से)	अन्य शाला से (कक्षा 1 की कुल दर्ज संख्या में से)	आंगनवाड़ी/ ECCE केन्द्रों से (कक्षा 1 की कुल दर्ज संख्या में से)
बालक									
बालिका									
कुल योग									

“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

**E. Enrolment (Current Year)**  
**दर्ज संख्या (वर्तमान वर्ष)**

कक्षा	पूर्व प्राथमिक		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
कक्षा में वर्ग (Section)																			
सामान्य (General)																			
अनुसूचित जाति (SC)																			
अनुसूचित ज. जाति (ST)																			
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)																			
<b>कुल दर्ज संख्या</b>																			
कुल दर्ज में से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या																			

निर्देश - विशेष प्रशिक्षण के लिये दर्ज बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाये।

**F. Enrolment in Current Academic Session (By Age Grade)**  
**वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दर्ज संख्या (आयुवार)**

कक्षा आयु	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
< 5																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
> 16																
कुल योग																

निर्देश - तालिका F में अंकित कुल योग छात्र/छात्राओं की संख्या का मिलान तालिका E में अंकित कुल दर्ज संख्या छात्र/ छात्राओं संख्या से करें। विशेष प्रशिक्षण के लिये दर्ज बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाये।



“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”  
 → School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ←

**G. Enrolment By Medium of Instruction (Current Year)**  
दर्ज संख्या शिक्षण के माध्यम अनुसार (वर्तमान वर्ष)

कक्षा	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
शाला में शिक्षण का माध्यम																	
<b>कुल योग</b>																	

**निर्देश -** पृष्ठ 15 के बिन्दु क्रमांक 24 में शिक्षण का माध्यम एक होने की स्थिति में यह तालिका भरने की आवश्यकता नहीं है। तालिका G में अंकित कुल योग छात्र/छात्राओं की संख्या का मिलान तालिका F में अंकित कुल दर्ज संख्या छात्र/छात्राओं संख्या से करें। विशेष प्रशिक्षण के लिये दर्ज बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाये।

**H. Repeaters and Re-Admission (Current Year)**  
अनुत्तीर्ण एवं पुनः प्रवेशी (वर्तमान वर्ष)

कक्षा	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
सामान्य (General)																	
अनुसूचित जाति (SC)																	
अनुसूचित ज. जाति (ST)																	
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)																	
<b>कुल योग</b>																	
कुल रिपीटरस् में से मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या																	

**निर्देश -** पुनः प्रवेशी से आशय ऐसे बच्चों से है जिन्होंने कि कम से कम 1 वर्ष के अन्तराल पश्चात उसी शाला में पुनः प्रवेश लिया हो।

**I. Incentives (Last Academic year only for I - V Classes)**  
**प्रोत्साहन/अन्य लाभ (गत शैक्षणिक सत्र में केवल प्राथमिक कक्षा I - V) हेतु**

अन्य लाभ	सामान्य (General)		अनुसूचित जाति (SC)		अनुसूचित जन जाति (ST)		अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)		कुल योग (Total)		कुल योग में से मुस्लिम अल्पसंख्यक (Mulim Minority)	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निशुल्क पाठ्यपुस्तकें												
निशुल्क कॉपी												
निशुल्क गणवेश												
छात्रवृत्ति												
निशुल्क परिवहन की सुविधा												
निशुल्क आवास की सुविधा												

**J. Incentives (Last Academic Year only for VI-VIII Classes)**  
**प्रोत्साहन/अन्य लाभ (गत शैक्षणिक सत्र में केवल माध्यमिक (मिडिल) कक्षा VI - VIII) हेतु**

अन्य लाभ	सामान्य (General)		अनुसूचित जाति (SC)		अनुसूचित जन जाति (ST)		अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)		कुल योग (Total)		कुल योग में से मुस्लिम अल्पसंख्यक (Mulim Minority)	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निशुल्क पाठ्यपुस्तकें												
निशुल्क कॉपी												
निशुल्क गणवेश												
छात्रवृत्ति												
निशुल्क परिवहन की सुविधा												
निशुल्क आवास की सुविधा												
निशुल्क साइकिल												

“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

**L. Children with Special Needs (CWSN) in Current Year**  
**विशेष आवश्यकता वाले / विकलांग बच्चों की जानकारी (वर्तमान वर्ष)**

कक्षा	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
निःशक्तता का प्रकार																
पूर्ण दृष्टि बाधित																
आंशिक दृष्टिबाधित (अल्पदृष्टि)																
मूक बधिर																
वाणी दोष																
अस्थि बाधित																
मानसिक विकलांग																
अधिगम विकलांग																
सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क अंगघात)																
आटिज़्म																
बहु विकलांग																
कुल योग																

**L(i) Children with Special Needs (CWSN) in Previous Year**  
**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को प्रदाय की गई सुविधाएं (विगत वर्ष में)**

सुविधा का प्रकार	कुल कितने बच्चों को दी गई	
	बालक	बालिका
ब्रेललिपि की पुस्तकें (Brail books)		
ब्रेल किट (Brail kit)		
अल्प दृष्टि संबंधी किट (Low vision kit)		
श्रवण यंत्र (Hearing aid)		
ब्रेस (Braces)		
बैसाख्री (Crutches)		
व्हील चेयर (Wheel chair)		
ट्राई सायकिल (Tri-cycle)		
कैलीपर्स (Caliper)		

“ जब जानकारी होगी अधूरी, तो कैसे होगी योजना पूरी ?”

→ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ←

### M. Attendance (Previous Academic Session)

#### उपस्थिति (गत शैक्षणिक सत्र)

कक्षा	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	छात्र*	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
कुल वार्षिक उपस्थिति																
गत सत्र में कुल दर्ज संख्या																

**निर्देश -** \*कुल वार्षिक उपस्थिति की गणना गत सत्र में दर्ज संख्या के आधार पर (उदहारण के लिए 30 हो तो गत सत्र में कुल दर्ज संख्या कक्षा 1 के छात्र वाले कॉलम में 30 भरें।)

\* कुल वार्षिक उपस्थिति से तात्पर्य यह है। माना कि एक कार्य दिवस में कुल दर्ज 30 बच्चों में से 28 उपस्थित हुए, दूसरे, कार्य दिवस में 25 उपस्थित थे, तीसरे कार्य दिवस में 23 बच्चें उपस्थित थे। इस प्रकार कुल वार्षिक उपस्थिति कॉलम में  $28 + 25 + 23 + \dots$  अर्थात कुल कार्य दिवसों (उदहारण के लिए 220) में उपस्थित बच्चों की संख्या का कुल योग कक्षा 1 के छात्र वाले कॉलम में भरा जाना है।

“ बच्चों को कैसे मिलेगी सुविधा पूरी, जब हम ही जानकारी देते हैं अधूरी ?”

➔ School Report Cards of year 2009-10 at <http://schoolreportcards.in> ◀

## N. Supplementary Variables अतिरिक्त जानकारी

1. यह माध्यमिक विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत खोला गया है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
2. इस माध्यमिक विद्यालय के साथ प्राथमरी कक्षाएँ भी सलग्न हैं ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
3. इस माध्यमिक विद्यालय के साथ हाईस्कूल/हाईसेकेण्ड्री कक्षाएँ हैं ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
4. विद्यालय के परिसर की भूमि का स्वामित्व ? ( 1 = राजस्व विभाग / 2 = शिक्षा विभाग /  
3 = आदिम जाति कल्याण विभाग / 4 = स्थानीय निकाय / 5 = निजी (प्राइवेट) / 7 = अन्य )
5. राजस्व रिकार्ड में विद्यालय के परिसर की भूमि का खसरा नंबर \_\_\_\_\_
6. विद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्रफल (constructed area) (वर्ग मीटर में) \_\_\_\_\_
7. विद्यालय परिसर में उपलब्ध खुली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) \_\_\_\_\_
8. विद्यालय परिसर की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
9. विद्यालय में अतिथि शिक्षक रखा गया है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )   
यदि हाँ अ) इस सत्र में कितने दिवस के लिए अतिथि शिक्षक रखा गया ?
10. बच्चों को पुस्तकालय से किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
11. बच्चों को कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (CAL/Head Start) का लाभ मिल रहा है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
12. विद्यालय में Interactive radio Instruction (IRI) चल रहा है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
13. दीवार पर सूचना पटल (Social Audit) बोर्ड- (योजनाओं की जानकारी का) है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
14. विद्यालय की नामपट्टिका (नेम प्लेट) पर डाईस कोड पेंट से अंकित किया है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
15. विद्यालय के शौचालय में (flowing) पानी की व्यवस्था है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
16. विद्यालय के शौचालय में नियमित सफाई की व्यवस्था है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
17. विद्यालय भवन का उपयोग बाला (BALA) के रूप में किया जा रहा है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
18. विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग (rain water harvesting) की गई है ? (1 = हाँ / 2 = नहीं )
19. यदि स्पेशल स्कूल है तथा गंभीर निशक्तता वाले बच्चों को कक्षावार दर्ज नहीं किया जाता है तो  
शाला में कुल दर्ज विद्यार्थियों की संख्या अंकित की जावे।
20. विद्यालय में कौन सा पाठ्यक्रम/पाठ्यर्या लागू है ? ( 1 = ICSC / 2 = CBSE /  
3 = State Board / 4 = अन्य )   
यदि अन्य हो तो स्पष्ट करें \_\_\_\_\_

## O. Enrollment Details for STR (Special Training Required) in Current Year विशेष प्रशिक्षण पाने वाले बच्चों की संख्या (वर्तमान सत्र में)

		II	III	IV	V	VI	VII	VIII
विशेष प्रशिक्षण पाने वाले कुल बच्चों की संख्या								
अधिकतम 1 वर्ष अवधि का प्रशिक्षण पाने वाले कुल बच्चों की संख्या	आवसीय							
	गैर आवसीय							
1 से 2 वर्ष अवधि का प्रशिक्षण पाने वाले कुल बच्चों की संख्या	आवसीय							
	गैर आवसीय							

## जन शिक्षक का सत्यापन

इस प्रपत्र में समस्त जानकारी विद्यालय के अध्यापक/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा ही भरी गई है। मेरे द्वारा इसकी जाँच की गई है कि प्रपत्र में भरी गई जानकारी पूर्णतः सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि 30 सितम्बर'2010 की स्थिति में म0प्र0 एजुकेशन पोर्टल तथा डाइस प्रपत्र में शिक्षकों संख्या एवं नमांकन की जानकारी पूर्णतया समान है। **किसी भी प्रकार की गलत /अपूर्ण जानकारी के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।**

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ (PTA) के हस्ताक्षर

नाम: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक

दिनांक

जन शिक्षक के हस्ताक्षर

विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के हस्ताक्षर

नाम: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक

दिनांक